BSW – 126

परिवार स्थापन में समाज कार्य

ignou
THE PEOPLE'S UNIVERSITY

वैवाहिक जीवन में प्रमुख समस्याएँ 4

''शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।''

– इन्दिरा गाँधी

''स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण'' की चेयर के अन्तर्गत् विकसित कार्यक्रम

"Education is a liberating force, and in our age it is also a democratising force, cutting across the barriers of caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances."

- Indira Gandhi

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
समाज कार्य विद्यापीठ

BSW – 126
परिवार शिक्षा पर
ऐच्छिक पाठ्यक्रम

खंड

4

वैवाहिक जीवन में प्रमुख समस्याएँ

इकाई 1

तलाक, अलगाव व प्रवास के मनो–सामाजिक प्रभाव

इकाई 2

दहेज माँग और दहेज मृत्यु

इकाई 3

विवाह में शामिल कानूनी मुद्दे

इकाई 4

घरेलू हिंसाः इसके कारण और प्रभाव

विशेषज्ञ समिति (मूल)

प्रो. पी.के. गांधी
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली

डॉ. डी.के. दास
आर.ए. कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, हैदराबाद

डॉ. पी.डी. मैथ्यू,
भारतीय सामाजिक संस्थान,
नई दिल्ली

डॉ. एलेस वड़वुम्मथला,
सी.बी.सी.आई.सेण्टर, नई दिल्ली

प्रो. ग्रेशियस थॉमस,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ए.पी.बर्नबास (सेवानिृत्त)
आई.आई.पी.ए.
नई दिल्ली

डॉ. रंजना सहगल,
इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इंदौर

डॉ. रमा वी. बारू
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

डॉ. जेरी थॉमस
डॉन बास्को
गुवाहटी

प्रो. सुरेन्द्र सिंह,
कुलपति
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्रो. ए.बी. बोस (सेवानिवृत्त)
सतत् शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू नई दिल्ली

प्रो. के.के. मुखोपाध्याय
दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. ए.आर.खान
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. आर.पी. सिंह
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. ऋचा चौधरी
डॉ. बी.आर.अम्बेडकर कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

प्रो. प्रभा चावला,
इग्नू, नई दिल्ली

विशेषज्ञ समिति (संशोधन)

प्रो. सुषमा बत्रा
समाज कार्य विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. आर.आर. पाटिल
समाज कार्य विभाग
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली

डॉ. बीना एन्थोनी रेजी
अदिति महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

डॉ. संगीता शर्मा धोर
डॉ. भीम राव अम्बेडकर कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. ग्रेशियस थॉमस
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. रोज़ नेम्बियाकिम
समाज कार्य विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. सौम्या
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

डॉ. जी. महेश
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू
नई दिल्ली

डॉ. सायन्तनी गुइन
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल (मूल)

इकाई लेखक

इकाई 1 सुश्री जयंती महापात्रा, एन.ओ.एस., नई दिल्ली

इकाई 2 एवं 3 श्री जॉर्ज के. जोश, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली

इकाई 4 डॉ. ग्रेस डॉनमचिंग, इग्नू, नई दिल्ली

भाषा संपादक

डॉ. गुलाब झा
नई दिल्ली

पाठ्यक्रम सम्पादक

प्रो. थॉमस कलम,
निदेशक, सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, बंगलौर

खण्ड सम्पादक एवं पाठ्यक्रम संयोजक

प्रो. ग्रेशियस थॉमस,
सतत् शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल (संशोधन)

इकाई लेखक

इकाई 1	सुश्री जयंती महापात्रा, एन.ओ.एस., नई दिल्ली
इकाई 2 एवं 3	श्री जॉर्ज के. जोश, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
इकाई 4	डॉ. ग्रेस डॉनमचिंग, इग्नू, नई दिल्ली

विषय संपादक	खंड संपादक	कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संयोजक	भाषा संपादक (हिंदी)
डॉ. सायन्तनी गुइन, समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. सायन्तनी गुइन, इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. सायन्तनी गुइन, इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. नीतू, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

मुद्रण निर्माण

अक्टूबर, 2020

© इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, 2020

ISBN -81-

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली—110068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से विभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर कम्पोजिंगः

खंड 4 का परिचय

'परिवार स्थापन में समाज कार्य' के खंड 4 में आपका स्वागत है। यह खंड विवाहित जीवन के विशेष मुद्दों से संबंधित है। इस खंड में तीन इकाइयाँ हैं। **प्रथम इकाई** तलाक, अलगाव व प्रवास के मनो–सामाजिक प्रभावों पर है। इस इकाई में तलाक के अर्थ, कारणों तथा प्रभावों को सामान्य भाषा में वर्णित किया गया है। इसके अलावा इसमें प्रवास व अलगाव के अर्थ, कारण तथा परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन है। **द्वितीय इकाई** दहेज माँग व दहेज मृत्यु से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत हमने दहेज रोकथाम ऐक्ट तथा देश में दहेज रोकने के लिए विधायी प्रयासों का वर्णन किया है। यहाँ हमने दहेज से होने वाली मृत्यु तथा ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों पर एक परिचर्चा प्रस्तुत की है। इस खंड की **तृतीय इकाई** विवाह से संबंधित कानूनी मुद्दों पर है जो तीन मुद्दे इस इकाई में वर्णित हैं वे हैं, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, तलाक के कारण, मुकदमें के समय रखरखाव तथा इसकी प्रक्रिया का खर्च। **इकाई चार** घरेलू हिंसा, इसके कारण और प्रभाव पर है। यह इकाई घरेलू हिंसा के सिद्धांतों, प्रभाव और घरेलू हिंसा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करती है।

इस खंड की सभी चार इकाइयाँ महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन विशेष मुद्दों से संबंधित हैं, जिनका देश के सभी परिवारों से संबंध है। इस खंड में दी गई सूचना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो समाज कार्य व परिवार निर्देशन से संबद्ध हैं।

इकाई 1 तलाक, अलगाव व प्रवास के मनो–सामाजिक प्रभाव

*सुश्री जयंती महापात्रा

रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 'तलाक' शब्द का अर्थ

1.3 तलाक के कारण

1.4 तलाक और इसके प्रभाव

1.5 प्रवास व अलगाव के अर्थ व कारण

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आप को तलाक, अलगाव व वियोग के विभिन्न मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रभावों से परिचित करना है। यह इकाई आप को उन कारकों से परिचित कराएगी जो तलाक को बढ़ावा देते हैं तथा आप तलाक, अलगाव व वियोग के परिणामों से परिचित होंगे। यह इकाई उन पहलुओं को भी

* सुश्री जयंती महापात्रा, एन.ओ.एस., नई दिल्ली।

प्रकाशित करेगी जो कि संभवतः तलाक की दर को कम करने में सहायक होते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगेः

- तलाक शब्द की व्याख्या करने तथा उसके विभिन्न प्रकारों को बताने में;
- तलाक का साथी, बच्चों, तथा परिवार पर पड़ने वाले मनो–सामाजिक प्रभाव समझने में;
- तलाक के फलस्वरूप विभिन्न मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक परिवर्तन समझने में;
- वियोग, अलगाव व प्रवास की व्याख्या करने में; तथा
- वियोग, अलगाव व प्रवास के परिणाम समझने में।

1.1 प्रस्तावना

वर्तमान समाज अन्य कारकों के अलावा समस्त प्राथमिक समूह जिसमें परिवार शैक्षिक इकाई के साथ–साथ एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में भी कार्य करता है। लैंगिक व भौतिक आवश्यकता सबको समान रूप से प्रेरित करती है। आर्थिक बाध्यता तथा सांस्कृतिक परंपरा, परिवार के अस्तित्व का सैद्धांतिक निर्धारण करते हैं। मशहूर दार्शनिक कनफ्यूशियस का मानना था कि यदि सभी लोग सही तरीके से परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार करें तो सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आपने परिवार के महत्त्व के बारे में इस पाठ्यक्रम के प्रथम खंड में पढ़ा होगा। एक परिवार व्यक्तियों की संख्या से नहीं बनता अपितु उनके जटिल पारस्परिक अंतर संबंधों का परिणाम होता है। घर और परिवार के परंपरागत रूप जैसे प्यार का छोटा सा घोसला, सुरक्षा, साथ, व कभी न समाप्त होने वाली खुशी हाल के समय में विनष्ट हुए हैं। इस बात की पुष्टि तमाम अनुभवों पर आधारित आंकड़ों से होती है जो तलाक व विद्वेष के बढ़ते स्तर को दर्शाते हैं। तलाक का प्रभाव साथियों के लिए मानसिक व आर्थिक रूप से खतरनाक होता है। तलाक का प्रभाव, विशेषतया बच्चों पर अधिक विनाशकारी

होता है। एक अभिभावक को संरक्षण की व्यवस्था देने की प्रथा बच्चे, पिता, माता, सभी के लिए बुरी है।

शोध से पता चलता है कि बच्चों पर इसका भावनात्मक प्रभाव उनके व्यवहार को विचलित करता है तथा उन्हें अपराध की ओर ले जा सकता है। किर्क पेट्रिक द्वारा 1951 में किये गए अध्ययन से पता चलता है कि माता–पिता के तलाक का बड़े बच्चों के वैवाहिक संबंधों पर विशेष रूप से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन यह बताता है कि माता–पिता के बीच टकराव व विवाह के विघटन का बच्चों के जीवन पर एक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

1.2 'तलाक' शब्द का अर्थ

तलाक विवाह का सामाजिक व कानूनी रूप मान्य विघटन है। विवाह की भांति यह भी अनेक सांस्कृतिक व कानूनी नियमों के माध्यम से सम्पन्न होता है तथा इसकी कठिनाई इसके सामाजिक व व्यक्तिगत परिणामों को दर्शाती है। कभी–कभी विघटन कई खंडों में होता है जैसे एक लंबे समय तक उपेक्षा, अलग रखरखाव की माँग, कानूनी अलगाव तथा अंततः शुद्ध तलाक। एक परिवार जिसकी वैवाहिक अपेक्षाएँ उच्च हैं पर वैवाहिक अव्यवस्था उन्हें तलाक लेकर शादी से निकलने को प्रेरित कर सकती है। जनसंख्यावादी दृष्टिकोण विभिन्न देशों में तलाक के बदलते परिदृश्य की बात करता है। 1997 एमली बैलेन्स द्वारा की गई खोज में पाया गया कि आज का युवा 30 वर्ष पूर्व पाए जाने वाले युवाओं से अधिक उग्र है जिसका कारण पारिवारिक इकाई का विघटन है।

समाजशास्त्रियों ने तलाक व वियोग के समन्वय की प्रक्रिया में एक प्रकार की समानता बताई है। दोनों में ही एक प्रकार के कर्तव्य संबंधों में बाधा देखने को मिलती है तथा समस्त पारिवारिक तंत्र में समन्वय की आवश्यकता होती है।

सभी वैवाहिक संबंध कई मायनों में अनूठे होते हैं। यह सदैव संभव नहीं होता कि बिछुड़ गए साथी के बदले आपको उपयुक्त साथी मिले/प्रायः सभी समाजों में पति

पत्नी की मृत्यु सगे संबंधियों व मित्रों को वियोगी व्यक्ति की सहायता, सांत्वना व सहयोग हेतु बाध्य करता है। तलाक में जब एक साथी काफी दुखी होता है तो कोई घनिष्ठ मित्र ही उसे सान्तवना दे सकता है।

विभिन्न संस्कृतियों व आदिवासियों में तलाक

तलाक की विधि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती है। मुसलमानों में यह पति की प्राथमिकता होती है और वह बिना कोई कारण बताए इसे ले सकता है। तलाक दो गवाहों की उपस्थिति में तीन बार तलाक कहकर लिया जा सकता है। पति को मेहर जो कि तलाक के बाद पत्नी के रखरखाव का खर्च होता है, देना पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस्लामी कानून पत्नी को भी तलाक की एकतरफा अनुमति देता है।

क्या आप आदिवासियों के मध्य तलाक की प्रक्रिया को जानने की रुचि रखते हैं? मेघालय में पाए जाने वाले खासी जनजाति के मध्य तलाक, बाँझपन, चरित्रहीनता तुनकमिजाजी की अवस्था में ही मान्य होता है। अलगाव आपसी सहमति के बाद ही संभव है। तलाक से अलग हुए दो व्यक्तियों के बीच पुनर्विवाह संभव नहीं है। तलाक जन समारोह में लिया जाता है। गौड़ जनजातियों के मध्य तलाक, बाँझपन, आपसी झगड़ा, गृह कार्यों में ध्यान न देने व वैवाहिक अनास्था के फलस्वरूप होता है। इसकी शुरुआत पति या पत्नी कोई भी कर सकता है। खरिया जनजाति में बाँझपन, स्थिरता, सुस्ती, वैवाहिक अनास्था तथा पत्नी का पति के साथ न रहने के फैसले के फलस्वरूप तलाक हो सकता है। हिन्दुओं में तलाक हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लिया जा सकता है।

ईसाइयों के मध्य दो प्रमुख उप सम्प्रदाय है, पहला कैथोलिक जो पोप से संबद्ध है तथा दूसरा प्रोटेस्टेण्ट। कैथोलिक आधिकारिक तौर पर तलाक की संभावना को स्वीकार नहीं करते। हालाँकि वे विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं। इसका

अर्थ यह है कि आरंभ से ही विवाह प्रभावहीन था जिसके कारण नपुंसकता व धोखाधड़ी आदि है। प्रोस्टेण्ट तलाक व विवाह के मुद्दों पर अधिक उदार है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) तलाक का अर्थ क्या है?

....

....

....

....

....

....

1.3 तलाक के कारण

तलाक के बारे में पढ़ने के बाद आइये अब उसके कारणों को जानें।

कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा विवाह से कम संबद्ध रहते हैं। पारिवारिक क्रियाएँ, धार्मिक पाबंदियाँ व पारिवारिक कर्तव्यों का जीवनपर्यन्त पालन आदि का आज कम महत्त्व है। उदार कानून, संबंधियों के प्रोत्साहन, अपेक्षाकृत आर्थिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता के फलस्वरूप कुछ दम्पत्तियों के लिए तलाक लेना काफी आसान है। आइये, कुछ कारकों का विश्लेषण करें।

1) **आधुनिकीकरणः** बदलते नैतिक मूल्यों के फलस्वरूप स्वतंत्र लैंगिक संबंधों व जन्म नियंत्रण तकनीकों की वजह से परिवार का विघटन काफी तेज हुआ

है। परिवार और विवाह से संबद्ध धार्मिक नियमन का अब लोप होने लगा है तथा पारिवारिक विघटन आसान होता जा रहा है। भूतकाल में विवाह एक पारिवारिक समारोह हुआ करता था जहाँ दो परिवारों के बीच संबंध हुआ करता था। आधुनिकीकरण के साथ दम्पत्तियों का विवाह हेतु स्वप्रयास ही अब अधिक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के विवाह को हालांकि माता–पिता अपनी सहमति दे देते हैं, पर परिवारों के मध्य एक प्राकृतिक बंधन नहीं बन पाता। इस प्रकार से अपने साथी के चयन की विधि की अपने लाभ हानियाँ हैं। यह विवाह की स्थिरता पर निर्भर करता है।

2) **परिवर्तन की बढ़ती सहमतिः** भारत जैसे अति परंपरावादी देश में भी हम प्राथमिकताओं को बदलते हुए देखते हैं। पहले अब पति को वरीयता दी जाती थी तब महिलाओं के लिए कार्यक्षेत्र परिभाषित थे तथा एक पद्धति का अनुपालन आसान था। नारी मुक्ति उनकी आर्थिक स्वतंत्रता तथा पश्चिमी प्रभाव ने आज शिक्षित शहरी निवासियों के वैवाहिक संबंधों को प्रभावित किया है।

3) **उच्च व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाः** आधुनिक औद्योगिक समाज के लोग परंपरागत समाज के लोगों की अपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी हैं। आज लोग परिवार को बलिदान कर रोज़गार में लगे हुए हैं। अतः परिवार अब गौण है। अब परिवार को बलिदान कर व्यक्तिगत सुख और स्वतंत्रता देखने को मिलती है।

4) **छोटे परिवारों की वृद्धिः** शहरीकरण और औद्योगीकरण के फलस्वरूप हम छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवार की संकल्पना सदैव संयुक्त परिवार के रूप में देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार में बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। माता–पिता के प्रति सम्मान व समर्पण देखने को मिलता है तथा युवा अपने बुर्जुगों से निर्देशन पाते रहते हैं। सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर परिवार के सारे सदस्यों से सलाह ली

जाती है। संयुक्त परिवार बड़े बुर्जुगों की उपेक्षा नहीं करते। यहाँ व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं होता और जहाँ तक तलाक की बात है, इसका फैसला जल्दबाजी में नहीं होता। माता—पिता, पति—पत्नी के बीच मध्यस्थता करते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन से कई समस्याएँ सामने आयी हैं, तलाक उनमें से एक है।

5) **मूल्यों का पतनः** लोगों के मूल्यों में काफी पतन देखने को मिलता है। इस पाठ्यक्रम के पिछले कुछ खंडों में आप नैतिक व व्यक्तिगत मूल्यों के बारे में पढ़ चुके हैं।

6) **भौतिक अलगावः** बाहर उपलब्ध रोज़गार अवसरों के कारण लोग गाँव छोड़कर देश या देश से बाहर वाले बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं। यह विदित है कि बड़े शहरों में आवास एक प्रमुख समस्या है। इसलिए लोग अपने परिवारों को साथ नहीं रख पाते। अपनी लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य की सेवाएं लेते हैं जैसे वेश्यालय जाना जो आसानी से उपलब्ध है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) छोटे परिवार की वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं?

....

....

....

....

....

....

2) शारीरिक अलगाव तलाक का कारण क्यों है?

....

....

....

....

....

....

1.4 तलाक और इसके प्रभाव

वर्तमान परिस्थिति से किसी अन्य स्थिति में परिवर्तन जीवन में अवरोध पैदा करता है। तलाक दोनों साथियों के लिए विनाशकारी होता है। वो साथी जो साझे लक्ष्य या नजदीकी के लिए विवाह करते हैं, जब उन्हें तलाक की वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस नई परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने में समय लगता है। तलाक की प्रक्रिया के दौरान थोड़ा समय व्यतीत होने पर, दोनों पक्ष स्वयं को परित्यक्त, आर्थिक रूप से ठगा हुआ, कानूनी रूप से गलत प्रस्तुतीकरण, सहयोगी साथी की व्यवस्था से क्षोभ महसूस करते हैं तथा अकेले रहने से भयभीत हैं। यह अवरोध की प्रक्रिया, साथियों और वो लोग जो इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हैं में कई व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। हम इसके कुछ प्रभावों का एक एक करके विश्लेषण करते है :

i) **तनावः** तनाव को उस शारीरिक क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो आंतरिक, मानसिक या बाह्य वातावरण के उद्दीपन से तनाव उत्पन्न करता है। तनाव में शारीरिक प्रक्रिया, बढ़ी हुई हृदय गति और रक्त दाब, मुँह सूखना, साँसों की तेजी आदि लक्षण महसूस होते हैं। विवाह, परिवार के सदस्य की मृत्यु और तलाक वो विशेष अवसर हैं जो सामान्य जीवन में अवरोध व और अधिक तनाव उत्पन्न करते हैं। जीवन के तनावपूर्ण अवसरों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन के तनावपूर्ण क्षणों की तुलना करने के लिए विकसित पैमाने पर तलाक को दूसरा स्थान प्राप्त है, इसे मानसिक तनाव पैदा करने वाला माना गया है।

जैसा कि पहले बताया गया है तनावपूर्ण मौंकों से शरीर में कई छोटे या बड़े परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करते हैं। यह तथ्य चिकित्सक भी मानते हैं। तलाक को कानूनी मान्यता के पहले से ही साथियों को कई कानूनी दावपेंच झेलने पड़ते है जो कष्टकारी होते है। इससे भी अधिक, मानव की वह प्रवृत्ति कि कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद वापस नहीं ली जाएगी, यहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं है, उसके साथी के अहं को चोट पहुँचाती है। तलाक की प्रक्रिया साथी को बीते हुए दिनों की भी याद दिलाती है जिसमें वे सुखी थे। तलाक की प्रक्रिया साथी में मानसिक तनाव उत्पन्न करती है जो कभी–कभी शारीरिक तनाव भी उत्पन्न करता है।

ii) **निम्न आत्मविश्वास और असफलता का बोधः** तलाक की वजह से कभी–कभी आत्मविश्वास की कमी जैसे बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। यह व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं में उसके प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है।

iii) **आक्रामकता या क्रोध में वृद्धिः** कई बार नकारात्मक भावनाओं से मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्रोध और आक्रामकता बढ़ जाती है।

iv) **अवसादः** तलाक को दंपत्ति और उनके बच्चों में तनाव उत्पन्न करने वाला दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक दोनों ही रूपों से थका देती है, जिससे कभी–कभी अवसाद और पछतावे की भावना उत्पन्न होती है।

v) **अपराध में वृद्धिः** कई अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि अपराध में लिप्त होने वालों में उन युवाओं का प्रतिशत अधिक है जो टूटे हुए घरों या छोटे एकाकी परिवार से आते हैं।

विवाह ने न केवल भारत में अपितु दुनिया के सभी जगहों पर अंतरंग संबंधों मजबूती के साथ संस्थागत किया है। यह पारिवारिक जीवन का मील का पत्थर है। विवाह स्थायित्व, प्रेम का वातावरण, प्रोत्साहन, स्वीकार्यता और भरोसा उपलब्ध करता है। तलाक की वजह से इन सभी का अर्थ समाप्त हो गया है और इसके साथ–साथ दंपत्तियों और उनके बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके नकारात्मक प्रभावों का असर दंपत्तियों के करीबी रिस्तेदारों पर भी पड़ता है।

तलाक के प्रभावः तलाक के प्रभाव की परिचर्चा हम तीन प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे:

i) बच्चों पर प्रभाव

ii) पति–पत्नी पर प्रभाव

iii) परिवार पर प्रभाव

i) बच्चों पर प्रभाव

विवाह के टूटने से बच्चे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। वयस्कों की मधुर संबंध न रख पाने की अक्षमता का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास की हर अवस्था में मात्र एक माता या पिता की देखभाल से कठिनाई होती है। शैशवावस्था में शिशु अपने माता–पिता के स्नेह की कमी को महसूस करता है क्योंकि कोई भी अकेले दोनों का स्नेह नहीं दे सकता। माता–पिता के तलाक से बच्चे तनाव ग्रस्त हो जाते हैं। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे गुस्सा या दुःख व्यक्त करते हैं। अन्य बच्चे स्थिति को बेहतर संभाल लेते है पर इसके लिए वे स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। जो युवा स्वयं की पहचान की समस्या से ग्रस्त है, वे संबंध टूटने के बाद लज्जित महसूस करते हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्नेहप्रद संबंधों से वंचित होना काफी घातक होता है। यह बच्चे की स्वसंकल्पना को नष्ट करता है। इसका प्रभाव बाद की युवावस्था में भी पड़ता है, जैसे कि एक व्यक्ति भोजन का भूखा होता है वैसे ही एक स्नेह का भूखा व्यक्ति तनाव ग्रस्त हो जाता है। कभी–कभी यह भावनात्मक व्यवहार अल्प तनाव से उच्च मनोरोग में परिवर्तित हो जाता है।

भावनात्मक कमियों के विशिष्ट प्रभाव :

1) **भौतिकः** भौतिक प्रभाव हैं : भूख न लगना, सुस्ती, सामान्य अरुचि तथा मनोविकार।

2) **सामाजिकः** बच्चे के सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव सीखने की क्षमता में कमी, लोगों के प्रति उदासीनता, सहयोग की कमी, व दूसरों के प्रति कटुता।

3) **भावात्मकः** तलाकशुदा व्यक्तियों के बच्चों में भावात्मक प्रतिक्रिया का अभाव रहता है। उनमें कभी–कभी असुरक्षा, असामाजिक व्यवहार, बेचैनी, चिंता, अस्थिर चित्त और कई अन्य प्रकार के कुसमायोजित व्यवहार से संबंधित गहरी भावनाएँ विकसित होती है। इसके अलावा कई अपराधी विघटित परिवार के बच्चे पाए गए हैं।

ii) अभिभावकों पर प्रभाव

जैसा कि पहले कहा गया है, तलाक का दोनों अभिभावकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। एक उद्देश्य के प्रति समर्पित दो लोगों के अलग होने से उन दोनों को भावनात्मक और सामाजिक झटका महसूस होता है। भावनात्मक झटके का तात्पर्य एक साथ रहने की आदत, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति, स्नेह व प्रेम का बंधन जो एकाएक टूटता है, से है। किसी विशेष परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता मानव का विशिष्ट लक्षण है। तलाक से सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है और कई बार तो जीवनभर यह कमी नहीं भरती। भारतीय समाज में लोग हृदय से तलाक का स्वागत नहीं करते। मध्यम वर्गीय परिवारों में तलाक की प्रक्रिया सामाजिक रूप से असहनीय हो जाती है। भारतीय समाज के सामाजिक व आर्थिक रूप से निम्नवर्ग में, तलाक सामान्यतः नहीं होता/सामान्यतः लोगों को समाज द्वारा नकारे जाने का सामना नहीं करना पड़ता चाहे वे अपने वर्तमान साथी को त्यागकर दसरे के साथ ही क्यों न रहना शुरू कर दें। वे ज्यादातर तलाक प्राप्त करने के लिए न्यायायिक प्रक्रिया में नहीं पड़ते।

मध्य श्रेणी के लोगों के लिए, समाज की अनौपचारिक सहमति बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। साथी और बच्चों के बारे में लोगों की जिज्ञासाएँ कुछ समय के लिए मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं।

iii) **परिवार पर प्रभाव**

तलाक प्रभावी रूप से एक शहरी घटना है। विवाह के संदर्भ में क्रिक पेट्रिक का कथन है कि "इस संविदा का सार विशिष्टता और अविघटन की पूरी अपेक्षा के साथ दी गई सहमती है।'' अन्य शब्दों में, विवाह का पवित्र विचार इससे विघटित होता है। यद्यपि तलाक दो साथियों के बीच घटित होता है, जो विवाह के परिणामस्वरूप संगठित होते हैं, लेकिन परिवार भी इस प्रक्रिया से प्रभावित होता है।

तलाक की बढ़ती दर और परिवार के टूटने के कारण एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवार, जो समाज की आधारभूत इकाई है, साथियों के वैवाहिक बंधन छोड़ने के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। बच्चे जो परिवार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, तलाक के कारण सबसे अधिक उत्पीड़ित होते हैं। तलाकशुदा व्यक्तियों के माता–पिता को भी इस परिस्थिति का सामना करने में कठिनाई होती है।

ऊपर वर्णित कारणों के अलावा, कुछ अन्य कारक जैसे प्रवर्जन और तात्कालिक अलगाव भी तलाक का कारण हैं। बाद में आने वाली उपइकाई में हम इन कारणों की पहचान करेंगे।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) तलाक के कारण व्यक्ति में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन कौन से हैं?

....

....

....

....

....

....

2) भावनात्मक वंचन के विशिष्ट प्रभाव कौन से हैं?

....

....

....

....

....

....

1.5 प्रवास व अलगाव के अर्थ व कारण

प्रवास

प्रवास सामान्यतया लोगों के निवास स्थान से जन्म स्थान के बीच दूरी के मध्य पायी जाने वाली गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने एक वर्ष से अधिक अवधि के स्थापन्न होने को स्थायी मान्यता दी है, जबकि एक वर्ष से कम अवधि के प्रवास को भ्रमण माना है। प्रवास के संदर्भ में यह माना गया है कि गतिविधि का मूल कारण आर्थिक अथवा रोज़गार के अवसर होते हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के प्रवासों में नौजवानों की ही प्रमुख भूमिका रहती है। युवा पात्र नये वातावरण के साथ न

सिर्फ आसानी से सामंजस्य बना लेते हैं बल्कि वे नए अवसरों का समुचित लाभ भी आसानी से उठाते हैं।

विगत वर्षों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि भी काफी मात्रा में देखने को मिलती है। विगत दशकों में शहरी जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ी है। शहरीकरण से तलाक में वृद्धि हुई है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे प्रवास व अलगाव होता है। पहले अलगाव के कारणों पर दृष्टिपात करते हैं फिर हम उसके परिणामों की विवेचना करेंगे।

अलगाव के कारण

1) **आर्थिक कारणः** भारत एक ग्राम प्रधान देश रहा है, जहाँ अपनी आर्थिक दशा सुधारने के परम्परागत तरीकों व उपायों के अलावा कुछ और उपलब्ध नहीं होता, ऐसे में लोग पलायन कर जाते हैं। लोग शहरों में अपनी दशा सुधारने के लिए बेहतर अवसर पाते हैं।

2) **अवसरः** अधिकाधिक युवा शहरों की ओर जाते हैं जहाँ वे अपनी शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर अधिक अर्जित कर सकते हैं। लोगों को रोज़गार के अवसर व अपनी पसन्द की नौकरी शहरों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

3) **आधुनिकीकरणः** गाँवों में रहने वाले अधिकतर लोग पारिवारिक परम्परा व रीतियों से बंधे रहते हैं। परम्परागत रीतियों से निकलने व नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए लोग प्रवास करते हैं।

4) **रोज़गार स्थानान्तरणः** रोज़गार स्थानान्तरण भी रोज़गाररत लोगों के प्रवास व अलगाव का एक प्रमुख कारण है। अधिकतर जगहों पर सरकारी नौकरी व बैंक आदि संगठनों में कार्यरत लोगों को रोज़गार स्थानान्तरण के कारण एक से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तथा इससे वे अपनी पत्नि व बच्चों

से लम्बे अन्तराल के पश्चात् ही मिल पाते हैं। इससे पारिवारिक जीवन दुष्प्रभावित होता है तथा बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

अलगाव व वियोग में भेद

साथी की मृत्यु या वियोग के साथ सदैव रीतियों, समारोहों व बाध्यता जुड़ी रहती है क्योंकि मृत्यु को एक प्रकार का अवांछित दखल या त्रासदी माना जाता है। तलाक की भाँति वियोग दूसरे साथी के प्रति कटुता उत्पन्न नहीं करता। वियोग एक प्राकृतिक क्रिया है जबकि साथी से अलगाव इच्छावश होता है तथा इसकें अपने अर्थ होते हैं। अलगाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे :

क) रोज़गार स्थानान्तरण

ख) तलाक पूर्व की प्रक्रिया

ग) मानसिक अयोग्यता

घ) रोज़गार अवसर

क) रोज़गार स्थानान्तरण

प्रायः सभी शहरों में स्थानान्तरण से अलगाव होता है। जिन रोज़गारों की वजह से स्थानान्तरण होता है वे सरकारी या गैर–सरकारी क्षेत्र में पाये जाते हैं। यह सदैव सम्भव नहीं हो पाता कि स्थानान्तरण के समय परिवार को ले जाया जाए। उदाहरणस्वरूप सैन्य बलों में सैनिकों को गैर पारिवारिक स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिससे वे अपने परिवार से दूर हो जाते हैं।

ख) तलाक पूर्व की प्रक्रिया

यह कानूनी प्रक्रिया है कि दम्पत्ति को तलाक से पूर्व एक निश्चित अवधि तक एक–दूसरे से अलग रहना है। यह वांछित अलगाव के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान दोनों के पुनर्मिलन का प्रयास भी किया जाता है।

ग) **मानसिक अयोग्यता**

बढ़ते शहरीकरण व समाज में हो रहे परिवर्तन के साथ लोगों की जीवन–पद्धति, उम्मीद व महत्त्वाकांक्षाओं में भारी परिवर्तन हुआ है जिससे अलगाव को बढ़ावा मिलता है। इस बदलते नजरिये का वैश्वीकरण से प्रभावित देशों के लोगों के जीवन शैली पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

घ) **रोज़गार अवसर**

बढ़ती जनसंख्या के कारण अपने क्षेत्र विशेष में रोज़गार पाना मुश्किल होता जा रहा है जिसकी वजह से अधिकाधिक लोग देश या देश के बाहर प्रवास कर रहे हैं। ये लोग अपना परिवार छोड़कर अकेले रहते हैं। कुछ रोज़गाररत लोग शिक्षा हेतु भी एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर जाते हैं।

अलगाव या वियोग के परिणाम

किसी प्रिय वस्तु से अलगाव काफी कष्टदायक होता है व कई अवसरों पर तनावग्रस्त कर देता है। अलगाव व वियोग के कई परिणाम होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से हानिकारक हो सकते हैं। कुछ परिणामों को बारी–बारी से पढ़ा जाए :

1) एक साथी की अनुपस्थिति से कार्य का बोझ बढ़ता है तथा सामान्य जीवन प्रभावित होता है जिससे वह तनावग्रस्त हो सकता है।

2) साथी के मानसिक सहयोग की कमी से तनाव हो सकता है।

3) वियोग या साथी की मृत्यु को तनाव का प्रमुख कारण माना गया है।

4) अलगाव में रहने वाले दम्पत्ति के बच्चों के मध्य हिंसा की अधिकता होती है।

5) अवसाद।

6) सामाजिकता में कमी।

7) आर्थिक कष्ट

8) विवाहेतर सम्बन्ध जोकि बीमारियाँ ला सकते हैं।

बोध प्रश्न 4

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) अलगाव व वियोग के कुछ परिणामों के बारे में लिखिए।

....

....

....

....

....

....

1.6 सारांश

इस इकाई के प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि कैसे पारिवारिक इकाई आज के समाज में संकटग्रस्त है। तलाक की बढ़ती दर के कारण परिवार तथा घर की परम्परागत छवि धराशायी हुई है। तलाक शादी का सामाजिक व कानूनी विघटन है। तलाक की विधि एक से दूसरी संस्कृति में भिन्न है।

हमने तलाक के कारणों का विश्लेषण किया व इसका पति, पत्नी तथा परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखा। तलाक के फलस्वरूप होने वाले विभिन्न व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे तनाव, आत्मविश्वास की कमी, अवसाद, व बच्चों में बढ़ती हिंसा का वर्णन किया गया है।

तलाक का अन्य कारण प्रवास व अलगाव है। इस इकाई के उत्तरी भाग में प्रवास व अलगाव के कारणों को बताया गया है। पाठ के अन्त में अलगाव व वियोग के परिणामों को बताया गया है।

1.7 शब्दावली

वियोग : सम्बन्धी, या मित्र की मृत्यु के कारण वियोग

कैथोलिक : ईसाइयों के मध्य कैथोलिक वे होते हैं जो पोप से सम्बद्ध रहते हैं।

समारोह : एक औपचारिक धार्मिक या जन अवसर जो किसी घटना या वर्षों के उपलक्ष्य में होता है।

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

राय अहूजा (1993), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर व नई दिल्ली।

मानसिंह दास व पनोश डी. बरदीस (1973), एशिया के परिवार, विकास प्रकाशन गृह प्रा. लि., नई दिल्ली

ल्योनार्ड ब्रूम व अन्य (1981), मान्य अध्ययन परीक्षण, हार्पर व रो प्रकाशन, न्यूयार्क।

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) तलाक शादी का सामाजिक व कानूनी विघटन है। साथी इसे आपसी सहमति से शादी से निकासी मानते हैं। यह कभी–कभी साथियों के मध्य नकारात्मक भावना उत्पन्न करती है तथा सामंजस्य में भी कठिनाई होती हैं

बोध प्रश्न 2

1) शहरीकरण व औद्योगीकरण लोगों को अधिकाधिक मात्रा में शहरों की तरफ खींच रहा है तथा परिणामतः पारिवारिक इकाई का विघटन हो रहा है। आधुनिकीकरण तथा बढ़ते व्यक्तिवाद के कारण भी संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन देखने को मिलता है तथा छोटे पारिवारिक इकाइयों का गठन होता है।

2) शरीरिक अलगाव तलाक का कारण है क्योंकि लोग जब अपने साथी को छोड़ते हैं तब उन्हें बदली हुई परिस्थिति में सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है। मौलिक मानवीय आवश्यकता जैसे कि लैंगिक सहवास आदि के लिए लोग कोई वैकल्पिक माध्यम की तलाश करते हैं। आसान माध्यमों से लैंगिक संतुष्टि व परम्परागत वातावरण से दूरी तलाक का कारण बन सकती है।

बोध प्रश्न 3

1) जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, वे हैं – तनाव, आत्म विश्वास की कमी, असफलता का बोध, क्रोध व आवेश में वृद्धि, अवसाद तथा अपराध में वृद्धि।

2) परेशानी, भूख न लगना, सुस्ती, मनोविकार व सामान्य अहमन्यता, लोगों के साथ व शिक्षण में अक्षमता, लोगों की उन्नति के प्रति उदासीनता, सहयोग की कमी तथा दूसरों के प्रति कटुता आदि भावनात्मक विलांग के विशेष प्रभाव हैं।

बोध प्रश्न 4

1) एक साथी की अनुपस्थिति से कार्य का बोझ बढ़ता है व सामान्य जीवन प्रभावित होता है, जिससे वह तनावग्रस्त हो सकता है।

2) साथी द्वारा प्रदत्त मानसिक सहयोग की कमी से तनाव हो सकता है।

3) वियोग या साथी की कमी को तनाव का प्रमुख कारण माना गया है।

4) वियोग से असफलता व पहचान की कमी का बोध होता है।

5) अलगाव में रहने वाले दम्पत्तियों के बच्चों के मध्य हिंसा की अधिकता होती है।

6) अवसाद।

इकाई 2 दहेज माँग और दहेज मृत्यु

*डॉ. जॉर्ज के. जोश

रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 दहेज निषेध अधिनियम, 1961

2.3 दहेज समाप्ति हेतु वैधानिक प्रयास

2.4 दहेज मृत्यु

2.5 सारांश

2.6 शब्दावली

2.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

यह इकाई आपके समझने में सहायता करेगी कि दहेज और दहेज मृत्यु से क्या अभिप्राय है, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान, दहेज समाप्ति के लिए बनाए गए कानून के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित वैधानिक प्रयास और भारतीय दंड संहिता में किए गए संशोधन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

* डॉ. जॉर्ज के. जोश, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

तथा अपराध प्रक्रिया संहिता आदि क्या हैं? इकाई के अंत में आप इस योग्य होंगे कि :

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रावधानों का वर्णन कर सकें;
- भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि में लाए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन कर सकें तथा दहेज और दहेज मृत्यु के खतरों पर विचार कर सकें;
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498—ए और 304—बी तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113—ए और बी की सार्थकता एवं न्यायालय किस प्रकार उपरोक्त धाराओं का प्रयोग कर दहेज रूपी बुराई को नियंत्रित कर रही है, को समझ सकें; तथा
- अपने पड़ोस में होने वाले दहेज संबंधी क्रूरता अथवा दहेज मृत्यु तथा प्रभावित पक्षों को आपके द्वारा दी गयी सलाह क्या होगी आदि को जान सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

दहेज भारतीय समाज की एक जड़मूल बुराई है। प्राचीन समय में यह रिवाज था कि विवाह के समय दूल्हे और उसके परिवार को उपहार दिए जाते थे। इसका प्रयोग एक ऐसे प्रबंध के रूप में वर—वधू के लिए होता था जो विपत्ति के समय उनके काम आता था। इस व्यवस्था की शुरुआत तब हुई थी जब आमतौर पर लड़कियाँ शिक्षित अथवा रोज़गार में नहीं थीं तथा उन्हें पारिवारिक आय को पूरा करने का कम अवसर प्राप्त था। रिवाज के रूप में उपहार देने का एक अन्य कारण भी मौजूद था जैसे लड़कियाँ पारिवारिक संपत्ति में हिस्से के लिए अधिकृत नहीं थीं, वे पिता के अनुराग से वंचित थीं, अतः पिता दूसरे लिहाज से विवाह के समय पुत्री को कुछ नकद अथवा वस्तुएँ देता था। दुर्भाग्यवश धीरे—धीरे लड़के या उसके परिवार द्वारा अधिकार के रूप में इस प्रकार का उपहार माँगने की एक नई

प्रथा का विकास हुआ। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 द्वारा सरकार ने इस प्रथा को नियंत्रित करने का एक प्रयास किया था किंतु रूकने के बजाए यह बुराई भयानक अनुपात में बढ़ गई। दहेज अधिनियम के निर्धारण हेतु सरकार ने भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनिवार्य संशोधन किए। यह इकाई दहेज निषेध अधिनियम, दंड संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की संबंधित धाराओं पर विचार करेगी तथा कानूनी किताबों में दिए गए सुनिश्चित प्रावधानों के अतिरिक्त न्यायालय किस प्रकार दहेज संबंधी क्रूरता और आत्महत्या/मृत्यु पर विचार कर चुका है, के उदाहरणों को भी प्रस्तुत करेगी।

2.2 दहेज निषेध अधिनियम, 1961

इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज लेने और देने की बुरी प्रथा का निषेध करना है। चूँकि समस्या बुनियादी तौर पर समाज मूलक है अतः सरकार ने इसे रोकने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन द्वारा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है, जबकि आवश्यकता एक ऐसे कानून की थी जो इस प्रथा को दंडनीय बनाए और यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई भी दहेज दिया जाए तो इसका लाभ महिला को प्राप्त हो। साथ ही इस अधिनियम का उद्देश्य आम जनता को शिक्षित करना तथा इस बुराई का उन्मूलन करना था।

दहेज क्या है?

दहेज निषेध अधिनियम की धारा–2 दहेज को परिभाषित करती है। इसके अनुसार किसी भी प्रकार की संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु जमानत राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को अथवा दोनों में से किसी एक के माता–पिता द्वारा अथवा विवाह के किसी भी पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा दोनों में से विवाह के कोई एक पक्ष को या अन्य व्यक्ति को विवाह के समय अथवा पहले या विवाह के बाद विवाह से संबंधत पक्षों को दिए जाएँ अथवा देने

के लिए राजी हों, वह दहेज है, किंतु यह मुस्लिमों के मामले में दहेज अथवा मेहर के रूप में शामिल नहीं है।

इस प्रकार दहेज का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की सम्पत्ति अथवा मूल्यवान जमानत राशि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अथवा विवाह के दोनों पक्षों में किसी एक के माता–पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के समय अथवा पहले या विवाह के बाद किसी भी समय विवाह से संबंधित पक्षों को दिया जाए या देने के लिए राजी हों। यह मुस्लिमों के मामलों में दहेज अथवा मेहर के रूप में शामिल नहीं है। विवाह से संबंधित नकद अथवा आभूषण या मूल्यवान वस्तुएँ वधू के माता–पिता या रिश्तेदारों द्वारा विवाह के अन्य पक्ष को आमतौर पर वधू को विवाह के समय अथवा पहले या विवाह के बाद दिया जाए।

दहेज देने अथवा लेने की सजा

1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद दहेज देता अथवा लेता है या दहेज देने या लेने के लिए उकसाता है, वह कारावास जिसकी अवधि पाँच वर्षों से कम नहीं होगी या दहेज के समतुल्य राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए दंडनीय होगा।

2) जबकि निम्न विषयों के संबंध में लागू नहीं होगी

   क) ऐसे उपहार जो विवाह के समय वधू को दिए जाते हों बशर्ते वे उपहार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुकूल सूची में प्रविष्टित हों।

   ख) ऐसे उपहार जो विवाह के समय वर को दिए जाते हों बशर्ते वे उपहार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुकूल सूची में प्रविष्टित हों।

दहेज और केन्द्र सरकार के कर्मचारी

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दहेज लेना अथवा देना कानूनी रूप से निषिद्ध है। दहेज लेने अथवा देने को प्रतिबंधित करने के लिए फरवरी 1976 में केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा में निम्न नियमों का समावेशन किया गया था। (आचार नियमावली 1964, w.e.f. 13–2–1976)

कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए उकसाएगा या किसी भी प्रकार का दहेज वधू के माता–पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माँगेगा।

इस नियम का किसी भी प्रकार का उल्लघंन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कर्रवाई करने के लिए पूरा और पर्याप्त कारण होगा।

दहेज माँगने की सजा

यदि कोई भी व्यक्ति वधू के माता–पिता दूसरे रिश्तेदारों या उसके संरक्षक से किसी भी प्रकार का दहेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माँगता है, वह कारावास जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी के लिए दंडनीय होगा पर उसे दस हजार रुपये जुर्माने के साथ दो वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है।

विज्ञापन पर प्रतिबंध

यदि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र या अन्य किसी रिश्तेदार के विवाह हेतु अपनी संपत्ति या धन अथवा दोनों में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी अथवा किसी भी व्यवसाय में हिस्सेदारी अथवा किसी भी प्रकार का अन्य लाभ, किसी समाचार–पत्र, पत्रिका, जर्नल के द्वारा अथवा किसी भी माध्यम के द्वारा कोई भी विज्ञापन प्रस्तुत करता है तो वह कारावास की अवधि जो 6 महीने से कम नहीं होगी तथा जिसे संभवतः पाँच वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना जिसे 15,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए दंडनीय होगा।

दहेज निषेध अधिनियम की धारा 5 घोषित करती है कि दहेज देने या लेने का किसी भी प्रकार का राजीनामा अमान्य होगा।

दहेज के लाभग्राही

धारा 6 बताती है कि दहेज पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारी के लाभ के लिए हो जहाँ किसी भी प्रकार का दहेज किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो उसे संबंधित महिला को छोड़कर जिसके विवाह में यह दिया गया हो वह व्यक्ति इसे उस महिला को हस्तांतरित करेगा।

अ) विवाह की तिथि के बाद तीन महीने के अंदर अगर दहेज विवाह के पहले लिया गया हो या,

ब) दहेज लेने की तिथि के बाद तीन महीने के अंदर यदि दहेज विवाह के समय अथवा बाद में लिया गया हो या

स) यदि दहेज तब लिया गया हो जब महिला नाबालिग थी। इसे उसके 18 वर्ष की आयु होने के तीन महीने के अंदर अवश्य देना होगा और इस तरह का हस्तांतरण महिला के लाभ के लिए अमानत के रूप में संभाल कर रखना होगा।

सजा

यदि कोई व्यक्ति उपधारा–1 के अनुसार निर्धारित समय के अंदर संपत्ति के हस्तांतरण में असफल रहता है अथवा उपधारा 3 के अनुसार वह कारावास की अवधि जो 6 महीने से कम नहीं होगी पर जिसे दो वर्ष या जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा तथा जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों के लिए दंडित होगा।

मृत्यु की स्थिति में

उपधारा के अंतर्गत् जब महिला सम्पत्ति के लिए अधिकृत है:

जब इसे लेने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। महिला के उत्तराधिकारी इस समय के दौरान उस व्यक्ति से जिसने इसे रखा हुआ है, पर दावे के लिए अधिकृत है।

बशर्ते ऐसी महिला जिसकी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के अंदर हो जाती है, ऐसी सम्पत्ति

अ) उसके माता–पिता को हस्तांतरित होगी यदि उसका कोई बच्चा नहीं है।

ब) उसके बच्चे को हस्तांतरित होगी यदि उसके बच्चे हैं और ऐसी संपत्ति ऐसे बच्चों के लिए अमानत के तौर पर रखी जाएगी।

न्यायालय का अधिकार

दहेज निषेध अधिनियम की धारा ऐसी व्यवस्था करती है कि इस प्रकार के अपराध का संज्ञान कौन लेगा?

अपराध प्रक्रिया की संहिता, 1973 में समावेशित किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया जाएगा।

अ) इस अधिनियम के अंतर्गत् मैट्रोपॉलिट मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से नीचे का कोई भी न्यायायिक अधिकारी इस प्रकार के अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

ब) इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न को छोड़कर न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा –

  i) ऐसे अपराध जो उसकी जानकारी में अथवा पुलिस रिपोर्ट के तथ्यों से . मिलकर लेने हों या।

ii) अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति के माता–पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा, संगठन द्वारा की गई शिकायत

स) इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा देने का निर्णय मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी होगा।

यह अधिनियम दहेज निषेध अधिकारी को नियुक्ति का भी प्रबंध करता है, उसके अधिकार क्षेत्र और उसके कर्त्तव्य का निर्धारण करता है और केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के पालन के उद्देश्य हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

अधिकांश राज्यों ने स्थानीय समस्या का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिए इस केन्द्रीय अधिनियम में अपने हिसाब से संशोधन किए हैं। सभी ने कड़े प्रावधान निर्मित किए हैं इसके बावजूद उत्पीड़न, यंत्रणा, आत्महत्या के लिए उकसाना और दहेज हत्या की घटनाएँ अभी तक अक्षुण्ण रूप से जारी हैं। महिलाओं में शिक्षा की कमी और आर्थिक . निर्भरता ने दहेज आपराधिक लोभी वृत्तियों को बढ़ावा दिया है।

1961 की दहेज निषेध अधिनियम समय–समय पर संशोधित किया गया है परंतु सामाजिक न्याय का यह भाग दहेज माँगने वालों को कठोर सजा दिए जाने के उद्देश्य को पूरा करता प्रतीत नहीं होता और दोषी कम ही सिद्ध होते हैं।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) दहेज क्या है? व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

....

2) दहेज माँगने की सजा क्या है?

....

....

....

....

....

....

2.3 दहेज समाप्ति हेतु वैधानिक प्रयास

दहेज निषेध अधिनियम की इस बुराई को समाप्त करने की विफलता ने हमारी विधायिका को नए ढंग से अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया है। अपराध कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983। भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया की संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आदेश में न केवल दहेज हत्या के मामले में वरन् विवाहित महिला के ससुराल द्वारा की गई क्रूरता पर प्रभावशाली ढंग से उचित विचार कर संशोधन किए गए–

धारा 498–अ (भारतीय दंड संहिता)

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का साधारण शब्दों में अर्थ है–

एक महिला पर उसके पति अथवा पति के किसी भी रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता दंडनीय है। (अ) कारावास की अवधि जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और (ब) जुर्माने के साथ।

क्रूरता से आशय

1) जानबूझकर पति अथवा पति के किसी भी रिश्तेदार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है अथवा उसको गंभीर, शारीरिक, मानसिक अथवा नैतिक क्षति पहुंचाता है।

2) उसके पति अथवा पति के रिश्तेदार द्वारा महिला का उत्पीड़न या उसके किसी रिश्तेदार से किसी भी गैरकानूनी ढंग से संपत्ति की माँग।

यह अपराध तभी संज्ञेय होगा यदि इस अपराध से संबंधित आयोग को सूचना दी गई होः

अ) पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को

ब) अपराध पीड़ित द्वारा अथवा अपराध पीड़िता के रिश्तेदार द्वारा

स) ऐसे रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में कोई राज्य सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा

न्यायालय अपराध पर संज्ञान होगा–

अ) पुलिस रिपोर्ट अथवा

ब) अपराध पीड़िता द्वारा की गई शिकायत

स) अथवा न्यायालय की अनुमति से उसका रिश्तेदार अथवा उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–अ (विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की अवप्रेरण की परिकल्पना के रूप में)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–अ के अनुसार

1) यदि कोई महिला अपने विवाह की तिथि से सात वर्षों की अवधि के अन्दर आत्महत्या करती है।

2) यह दर्शाता है कि उसका पति या पति का कोई रिश्तेदार उसे क्रूरता के लिए जिम्मेदार था। इस स्थिति में न्यायालय अनुमान कर सकता है कि ऐसी आत्महत्या के लिए पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा उकसाए जाने पर की गई थी।

2.4 दहेज मृत्यु

भारतीय समाज में स्त्री हमेशा एक आदर्श के रूप में दर्ज की गई है। वह परिवार के अद्वितीय शक्ति होने के साथ ही संस्कृति, विरासत और धर्म की रक्षिका भी होती है, लेकिल वास्तव में उसका यह रूप दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक रूप से बढ़ते हुए दुल्हन जलाने की क्षुब्ध घटनाओं के कारण बिखर चुका है। वधू के उत्पीड़न अथवा मारने के अधिकांश मामलों को दहेज माँगने और पैसा ऐंठने की घृणित प्रथा और पति के रिश्तेदारों को वधू के माता–पिता द्वारा उपयुक्त रूप से पूरा मान न कर पाने की विफलता में खोजा जा सकता है। इस प्रकार की मृत्यु से ज्यादा बर्बर और अत्यधिक जघन्य कुछ नहीं हो सकता।

दहेज के लिए मारना अपने आप में एक अपराध है। यह पति और उसके परिवार के सदस्यों के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता है कि दूल्हे विवाह–बाजार में

उपलब्ध रहें। अतः पीड़ित वधुओं को इसका अंत करना होगा तभी वे अपने ससुरालवालों की धन लोलुपता और लालच का शिकार नहीं बनेंगी।

हत्या में एक उद्देश्य हो सकता है अथवा नहीं भी। किंतु दहेज हत्या में यह अवश्य निहित है। न्यायालय सिर्फ यह जाँच करेगा कि इस योजना का क्रियान्वयन किसने किया है।

दिल्ली के एक मुकदमे में (लक्ष्मण कुमार बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) सम्मानित उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि महिलाओं के पास एक बार आर्थिक स्वतंत्रता आ जाये तो दहेज की बुराई अपनी प्राकृतिक मौत मर जाएगी। शिक्षा के बिना आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। शिक्षा की वजह से ही पश्चिमी देशों की महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं।

दुल्हन को जलाना हमारे समाज पर कलंक है। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बढ़ते हुए मूल्य और हमेशा बढ़ते हुए जीने की कीमत और उपभोक्ता उत्पादों में बेतहाशा वृद्धि के साथ जुड़ने से विलासिता पूर्ण और आवश्यक वस्तुओं का अंतर प्रभावित हुआ है और नई पीढ़ी आसानी से धन हासिल करने की ललक रखती है। वधुएँ उपभोक्तावाद के इस शानदार विकास की अनिच्छित पीड़िता है। पति और उसके परिवार के सदस्य महिला और उसके परिवार की तरफ अपनी बाजारी जरूरतों को पूरा करने के साधन के रूप में देखते हैं।

मृत्यु की प्रकृतिः मृत्यु प्राकृतिक, दुर्घटना, आत्मघाती या नरसंहार जैसे प्रकार की होती है। अदालत को मौजूद साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा की मृत्यु, नरसंहार था।

आरोपी के विरुद्ध आरोप तय करनाः न्यायाधीश को न्यायसंगत रूप से मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला करना होगा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप तर्क संगत हैं, और साक्ष्यों के आधार पर, अपराधी पर लगाए गए आरोपों

में दोषी पाए जाने की अधिक संभावना है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो न्यायाधीश को यह मानने की स्वतंत्रता है कि आरोपी ने अपराध किया है।

न्यायालय उपलब्द्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करके यह निश्चित करने के लिए अधीकृत है कि आरोपी पर प्रत्यक्ष मुकदमा लगाया जा सकता है कि नहीं। न्यायालय से यांत्रिक रूप से आरोप तय करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए अपितु वह न्यायसंगत रूप से मुकदमें के साक्ष्यों का मूल्यांकन करेगा।

आरोपी की रिहाईः दुल्हन को जलाए जाने की घटना में, लड़की के ससुराल पक्ष के सभी लोगों को सम्मिलित करने की सामान्य प्रथा हो गई है चाहे वे इस अपराध से किसी भी तरह से न जुड़े हों। फिर भी, न्यायालय से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो शिकायतकर्ता परिवार की भावनाओं में बह जाएगा और निर्दोषों को भी अपराध में फँसा देगा। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि उसे साक्ष्यों के अवलोकन से वास्तविक अपराधी की संलग्नता सिद्ध करनी होगी।

धारा 304–बी, IPC और 113–बी, साक्ष्य अधिनियम धारा 304–बी को भारतीय दण्ड संहिता में दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम 1986 के माध्यम से सम्मिलत किया जो 19–11–1986 से प्रभावी है। यह दहेज मृत्यु से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान है। वास्तव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–बी के अनुमानों को धारा 304–बी, IPC में सम्मिलित किया गया है।

धारा 304–बी, IPC

यदि कोई महिला विवाह के सात वर्षों के भीतर मरती है, और जो किसी प्रकार से जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थिती की मृत्यु के विपरीत, कारणों से होती है और उसकी मृत्यु से पहले यह पता है कि उसके साथ निर्मम व उत्पीड़न हुआ, उसके पति द्वारा, या पति के रिश्तेदारों द्वारा कोई सम्पत्ति या मूल्यवान सुरक्षा लड़की या उसके रिश्तेदारों से प्राप्त करना चाहते है, तो यह दहेज मृत्यु के अन्दर आएगी, यदि यह पता चल जाता है कि यह दहेज की किसी माँग से

संबंधित है। चाहे वह व्यक्ति सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार न हो, लेकिन अनुमानित रूप से ऐसा माना जाएगा कि उसने दहेज हत्या की है; यदि कोई निर्दयता या उत्पीड़न हुआ है और सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है। यदि यह साक्ष्य है कि व्यक्ति जानकर उसकी मौत का कारण बना तो यह हत्या से निपटने की धारा 302 IPC का मुकदमा बनेगा।

दहेज मृत्यु के प्रमाणः चूँकि दहेज मृत्यु का अपराध सामान्यतया घर में एकांत और गोपनीयता से घटित होती है अतः स्वतंत्र और सीधा प्रमाण एकत्रित कर पाना कठिन है। इसी जह से संसद में धारा 113–ए (विवाहित महिला को आत्माहत्या के लिए उकसाये जाने का अनुमान) और 113–बी (दहेज मृत्यु का अनुमान) के साक्ष्य अधिनियम को अभियोगी पक्ष द्वारा अनुमानों को प्रकट करने की अनुमति है, यदि कुछ आधारभूत साक्ष्य स्थापित हो जाते हैं, और यदि वर्णित मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई हो, को पारित किया गया।

शब्द ''जैसा कि दिखाई देता है'' धारा 304–बी में अभियोगी पक्ष को अपेक्षित परिस्थितियों की जानकारी उपलब्ध कराने की प्रारंभिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शब्दावली "मृत्यु से तुरंत पहले" का अर्थ जरूरी नहीं है कि मृत्यु के तुरंत पहले हो।

"माना गया" अभिव्यक्ति का उपयोग इस खण्ड में विधिक गल्प बनाने के दृष्टिकोण से की गई है।

धारा 304–बी के अंतर्गत आने वाला अपराध सत्र न्यायालय में पेश होता है। यह एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है।

साक्ष्य अधिनियम 113–बी के अंतर्गत यह अनुमान लगाना कि उसकी मृत्यु के पहले, दहेज की माँग को लेकर उसके साथ निर्दयता या उत्पीड़न हुआ है के

महत्त्वपूर्ण अंश धारा 304—बी आईपीसी के अंतर्गत लेते हुए, अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि दहेज मृत्यु का कारण पति या उसका कोई अन्य संबंधी है।

"यह अनुमान है कि" की अभिव्यक्ति जो धारा 113—बी में है। यह इशारा करती है कि अदालत को निष्कर्ष निकालना अत्यंत आवश्यक है और अदालत के पास कोई विकल्प नहीं है तो अदालत यह अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है कि पति व उसके संबंधियों ने दहेज हत्या को अंजाम दिया है। दहेज हत्या में अदालत यह मानने के लिए बाध्य है कि जब तक दोषी (आरोपी) को छोड़ने के पक्ष में बहुत मजबूत और सकारात्मक साक्ष्य सिद्ध नहीं होता उसे न छोड़ा जाए।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) दहेज हत्या के साक्ष्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें?

....

....

....

....

....

....

2.5 सारांश

विवाह वो सामाजिक अवसर है जिसमें परिवार और मित्र करीब होते हैं। लेकिन अब यह संबंधित परिवारों की आर्थिक क्षमता के दिखावे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस भव्य समारोह के लिए धन वधू पक्ष के परिवार की ओर से आता है। अत्यधिक धन खर्च होता है और पैसा एक हाथ से दूसरे के हाथ में जाता है। यह सही भी हो सकता है यदि दोनों पक्ष बहुत सम्पन्न है और दौलत का विनिमय सद्भाव वश हुआ हो। परंतु आज दहेज एक अभिशाप बन गया है और समाज के सभी वर्ग के लोग इस प्लेग से पीडित हैं। दहेज निषेध अधिनियम हमारी विधायिका का इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का प्रयास था। लेकिन यह सफल न हो सका क्योंकि महिलाओं को आर्थिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था। लड़कियों के माता–पिता उन्हें ऐसा बोझ मानते थे जो उन्हें अपनी पीठ पर से किसी भी कीमत पर उतारना होता है। विवाह के अवसर पर अनावश्यक खर्च वधू पक्ष के परिवार के सम्मान के मुद्दे से संबंधित है। वर पक्ष एक शानदार भोज चाहता है और उसमें आमंत्रित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। यदि कोई उपहार दूल्हा या दुल्हन को स्वेच्छा से दिए जाते हैं तो उसका भी स्वागत है। लेकिन जैसे ही इसमें बाध्यता के लक्षण आते हैं. यह असामाजिक व गैर कानूनी हो जाता है। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज माँगने, लेने या देने के लिए बहुत सी सजाएँ उपलब्ध कराता है। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि वधू को स्वेच्छा से दिये गए धन का लाभार्थी कौन होगा। सामाजिक मान्यताओं का कानून के प्रावधानों का साथ न देने की वहज से यह बुरी तरह से असफल हुआ।

दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक निर्दयता, दुल्हन को जलाना और पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए करना कि वह और अधिक दहेज लाने में असमर्थ है और पुरुष और दहेज पाने के लिए फिर से विवाह कर सकें इत्यादि रोजमर्रा के जीवन का क्रूर मजाक बन गए हैं। धारा 498–ए आईपीसी जो क्रूरता से संबंधित आदि हमारी विधायिका के वो प्रयास है जिससे इस अभिशाप का अंत हो सकेगा। लेकिन उपभोक्तावादी आवश्यकताओं की वृद्धि से दहेज को ऐसा आय का स्रोत मानता है जो उनकी भौतिक विलासिता को पूरा करेगी।

केवल लड़कियों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता ही इस परिस्थिति को परिवर्तित कर सकती है। महिलाओं को आदर व सम्मान के योग्य मनुष्य माना जाना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हमारे सामाजिक व धार्मिक व्यवहार व मीडिया को बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करना है। विवाह को एक पवित्र बंधन या संस्कार या जीवन भर के लिए दो व्यक्तियों का समन्वय माना जाना चाहिए। यदि कोई इसे एक व्यापारिक समझौता मानता है और अधिकतम लाभ लेना चाहता है तब विधायिका या पुलिस और अदालत साथ मिलकर भी समाज को दहेज के अभिशाप से मुक्त नहीं कर सकती। जैसा कि हम आज देखते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन ही दहेज की समस्या का वास्तविक उत्तर है।

2.6 शब्दावली

संज्ञेय : ध्यान में रखना और क्रिया करना।

"जैसा कि देखा गया" : शब्दों का धारा 304–बी में परिस्थितियों की व्याख्या करने और धारा के अनुसार दण्डित करना।

"मृत्यु के तुरंत पहले" : शब्दों का अर्थ यह जरूरी नहीं है कि मृत्यु के तत्काल पहले हो।

"देखा गया" : अभिव्यक्ति का इस्तेमाल इस धारा में कानूनी गल्प के निर्माण के नजरिए से है।

2.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

दयाल, आर. (1995), दहेज से संबंधित नियम, प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी, इलाहाबाद।

मेने, जान डी., मेनेस हिन्दू लॉ एण्ड यूसेस (संसोधित – न्यायमूर्ती अलादी कप्पूस्वामी, (13वाँ संस्करण, 1993) भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली।

पुरोहित, निशी (1998), द प्रिन्सीपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ (2–संस्करण) ओरिएण्ट पब्लिशिंग कम्पनी, इलाहाबाद।

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) दहेज का अर्थ है :

- कोई सम्पत्ति या मूल्यवान सुरक्षा
- दी जा चुकी या देने की सहमति
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
- विवाह के एक पक्ष के द्वारा
- दूसरे पक्ष को
- या विवाह में किसी भी पक्ष के माता–पिता द्वारा
- या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
- विवाह के किसी भी पक्ष को
- या किसी अन्य व्यक्ति को
- विवाह काल के पहले या बाद में किसी समय या विवाह के पहले या बाद में दोनों पक्षों के विवाह से संबंधित है।

यह मुसलमानों के मेहर या दहेज को सम्मिलित नहीं करता।

यह या तो नकद या जेवरात या बहुमूल्य वस्तुएँ होती है जो विवाह के समय या पहले या बाद में विवाह के एक पक्ष को दी जाती है। सामान्यतः वधू द्वारा वर के माता–पिता या रिश्तेदार को विवाह के संबंध में दी जाती है।

2) **दहेज माँगने की सजा** – यदि कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोध रूप से वधू के माता–पिता या अन्य संबंधियों या अभिभावक से किसी दहेज की माँग करता है तो उसे सजा के रूप में कारावास में भेज दिया जाएगा जिसकी अवधी 6 माह से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

बोध प्रश्न 2

1) दहेज मृत्यु के साक्ष्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें? चूँकि दहेज हत्या जैसे अपराध घरों में एकान्त में गोपनीयता से होते हैं अतः स्वतंत्र और स्पष्ट साक्ष्य एकत्रित करना आसान नहीं होता। इस कारण से संसद धारा 117–ए (विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने हेतु) और धारा 113–बी (दहेज मृत्यु के अनुमान पर) का साक्ष्य अधिनियम को अभियोगी पक्ष द्वारा अनुमानों को प्रकट करने की अनुमती है, यदि कुछ आधारभूत साक्ष्य स्थापित हो जाते हैं, और यदि वर्णित मुत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई हो को पारित किया।

यह अनुमान है कि अभिव्यक्ति जो धारा 113–बी में है यह इशारा करती है कि अदालत को किसी निष्कर्ष पर पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अदालत के पास कोई विकल्प नहीं होता और यह अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है की पति व उसके संबंधियों ने दहेज हत्या को अंजाम दिया। दहेज हत्या में अदालत यह मानने के लिए बाध्य है कि जब तक आरोपी को छोड़ने के पक्ष में बहुत मजबूत और सकारात्मक साक्ष्य सिद्ध नहीं होता उसे न छोड़ा जाए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 3 विवाह से सम्बन्धित कानूनी मुद्दे

*डॉ. जॉर्ज के जोश

रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 ईसाई विवाह कानून

3.3 मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम

3.4 विशेष विवाह अधिनियम, 1954

3.5 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

समय बदल रहा है और जो कुछ प्राचीन समय में पवित्र था, उसे अब अधिकृत रूप से कायम रखने की सामाजिक अनुमति नहीं है। वैवाहिक सम्बन्ध आज अधिक टूट रहे हैं और ये बहुत से उन मुद्दों को उठाता है जिनको एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि

* डॉ. जॉर्ज के. जोश, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

हम जाने और समझें उस दर्दनाक स्थिति को जिसका सामना कोई अपनी वैवाहिक जिन्दगी में करता है और कौन से समाधान उस पक्ष के लिए कानून द्वारा उपलब्ध है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके पास उन कुछ समस्याओं का एक साफ चित्र होगा जो विवाह में उठ सकती हैं और जिन्हें कानून द्वारा किस तरह सुरक्षित किया गया है। यह इकाई आपकी मदद करेगी : .

- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में वर्णित प्रावधानों को समझने में;
- ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 में वर्णित प्रावधानों को समझने में;
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों को जानने में; तथा
- मुस्लिम विवाह, तलाक और बच्चों के संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दों को समझने में।

3.1 प्रस्तावना

प्राचीन समय से ही हमारे समाज द्वारा विवाह को काफी पवित्र माना जाता रहा है। स्त्री–सतीत्व (Female morality), विवाह के प्रकार, विवाह समारोह, एकपतित्व / एकपत्नीत्व (monogamy as rule), वैवाहिक कर्त्तव्य, बेटे की भूमिका और कर्त्तव्य आदि के विषय में हिन्दू समाज द्वारा कठोर नियम बनाए गए है। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद देश के बहुत से समूहों से सम्बन्धित बहुत से कानूनों को लागू, संशोधित तथा संहितावश किया गया। उन वर्णित अधिनियम में से कुछ प्रमुख अधिनियम हैं :

- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
- मुस्लिम विवाह समाप्ति अधिनियम, 1937 आदि
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- तलाक अधिनियम, 1969 (जिसे पहले भारतीय तलाक अधिनियम के रूप में जाना जाता था।)

- पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936

इन सभी में निश्चित रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम अपनी पहुँच में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी 85 प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके अन्तर्गत वे सभी लोग आते हैं जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं। इस इकाई के अन्तर्गत ध्यान में रखे जाने वाले विषय हैं – विवाह सम्बन्धी अधिकारों का बदला जाना, न्यायिक पृथक्करण, तलाक, व्यवस्था, बच्चों का संरक्षण आदि।

3.2 ईसाई विवाह कानून

क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में विवाह से सम्बन्धित जो प्रावधान हैं उन्हें भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में देखा जा सकता है। यह अधिनियम भारत में सभी ईसाई विवाह समारोहों पर लागू होता है, चाहे पक्षों की राष्ट्रीयता या अधिवास कुछ भी हो। इस अधिनियम का भाग 4 यह व्यवस्था करता है कि ऐसे लोगों, जिनमें एक ईसाई है या दोनों ईसाई हैं, के बीच अधिनियम के भाग 5 के अनुसार समारोहित होगा अन्यथा विवाह रद्द होगा।

विवाह के लिए अधिकृत व्यक्ति

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 (भाग 6) के अन्तर्गत विवाह किया जा सकता है

क) उस व्यक्ति द्वारा जिसने धर्माध्यक्ष का अध्यादेश प्राप्त किया है;

ख) स्कॉटलैण्ड के धार्मिक पादरी द्वारा;

ग) सम्बन्धित धर्म के अनुज्ञाकारी मंत्री द्वारा;

घ) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त एक विवाह अनुबन्धक द्वारा; अथवा

ङ) अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय ईसाइयों के बीच विवाह प्रमाणपत्र को देने के लिए अनुज्ञाकारी व्यक्ति द्वारा।

विवाह के रूप/प्रकार

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के एक पठन से यह साफ हो जाएगा कि अधिनियम विवाह के उन रूपों का मनन करता है जो शुद्ध रूप से, धार्मिक या शुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष हैं। साथ ही साथ ऐसे विवाह जो मिश्रित प्रकृति के हैं।

विवाह निबंधक

राज्य सरकार भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी जिले का विवाह निबंधक बनाने के लिए या तो नाम से या कार्यालय द्वारा एक या अधिक क्रिश्चियन को नियुक्त करती है।

विवाह–समारोह स्थल

हालाँकि कुछ वर्गों के विवाह जो नियमों, धार्मिक कृत्यों, समारोहों और किसी विशेष चर्च के पादरी द्वारा रीति–रिवाजों के अनुसार होता हैं, वे विवाह केवल चर्च में ही आयोजित होंगे।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) क्रिश्चियन विवाह को कौन आयोजित कर सकता है?

....

....

....

....

....

....

3.3 मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम

सामान्यतः मुस्लिम कानून, कोर्ट द्वारा, प्रत्येक मुस्लिम के लिए लागू हैं। एक मुसलमान वह है जो मानता है कि अल्लाह केवल एक है और मौहम्मद उसके पैगम्बर हैं।

विवाह : संकल्पना और संस्कार

मुस्लिम कानून में विवाह (निकाह) एक नागरिक समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चों का प्रजनन करना है। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नागरिक समझौते द्वारा एक अनुष्ठान/संस्कार नहीं है। सभी अधिकार और बन्धन जैसे एक पति द्वारा पत्नी को दहेज की अदायगी या कोई अन्य अवस्था तुरन्त उत्पन्न होते हैं और किसी अन्य चीज़ों पर निर्भर नहीं होती।

समारोह

एक मुस्लिम विवाह का आवश्यक संस्कार एक पक्ष की तरफ से प्रस्ताव और दूसरे पक्ष की ओर से उसकी स्वीकृति है। ('इजाव–वा–कबूल' या घोषणा और स्वीकृति)। प्रस्ताव या स्वीकृति का कोई विशिष्ट तरीका निर्धारित नहीं है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति मौखिक हो सकती है।

धार्मिक संस्कार

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

मुस्लिम विवाह के किसी भी धार्मिक संस्कार को कानूनी मान्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, यद्यपि कुरान की कुछ आयतों की व्याख्या की आम व्यवस्था है। मुस्लिम विवाह के लिए पुरोहित की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। एक मुस्लिम विवाह का पंजीकृत होना जरूरी नहीं है।

विवाह समारोह के लिए आवश्यक गवाह

मुस्लिम कानून के हनाफी (Hanafi) सम्प्रदाय के अनुसार गवाह होना आवश्यक है। गवाह या तो दो पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्रियाँ होनी चाहिए। एक विवाह जो गवाहों की उपस्थिति में नहीं हुआ है वह अनियमित है और प्रमाणित नहीं है। मुस्लिम कानून के अन्य सम्प्रदायों के अनुसार गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

बहुविवाह और बहुपतित्व के रूप में नियम

एक मुस्लिम पुरुष चार पत्नियाँ रख सकता है। यह वैधानिक स्थिति है, हालाँकि कुछ धार्मिक आदेश भी हैं जैसे कि पति अपनी सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार करे और अगर यह सम्भव न हो तो उसकी एक से ज्यादा पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए। एक मुस्लिम स्त्री के एक से ज्यादा पति नहीं हो सकते।

विवाह का रद्द होना

हालाँकि भारत में इस तरह का कोई मुस्लिम विवाह कानून नहीं है कि एक पति या पत्नी जो ये साबित कर सके कि मुस्लिम कानून के कुछ नियमों के अनुसार विवाह रद्द नहीं है, इसलिए वह उस प्रभाव की घोषणा के लिए सक्षम नागरिक कोर्ट में 'नागरिक प्रार्थना' दायर कर सकता/सकती है। इस तरह की सुविधा विशेष राहत कानून 1963 के द्वारा प्रदत्त है।

न्यायिक अलगाव

मुस्लिम कानून इस तरह की सुविधा की व्यवस्था नहीं करता।

ऐसा माना जाता है कि एक अदालत एक मुस्लिम पत्नी या पति को न्यायिक अलगाव का आदेश नहीं दे सकती।

तलाक

भारत में प्रचलित मुस्लिम कानून निम्नलिखित व्यवस्था देता हैः

क) बिना किसी आधार के पति के अकेले पहल पर अतिरिक्त अदालती तलाक

ख) रचनात्मक श्रेणी के अंतर्गत पति की एकल पहल पर अतिरिक्त अदालती तलाक

ग) मुस्लिम विवाह रद्द अधिनियम, 1939 के प्रावधानों, द्वारा मान्य आपसी सहमति से अतिरिक्त अदालती तलाक और;

घ) मुस्लिम विवाह रद्द कानून, 1939 के प्रावधानों में वर्णित विशिष्ट आधारों पर पत्नी की पहल पर कानूनी तलाक

पति की पहल पर (उपरोक्त श्रेणी (अ) अतिरिक्त अदालती विवाह–विच्छेद को ही तलाक के नाम से जाना जाता है और इसने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कई पूर्वी देशों में पति के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

तलाक उच्चार के लिए नियम

तलाक को सामान्यतः मान्यताप्राप्त (तलाक–ए–सुन्ना) या अमान्यताप्राप्त के रूप (तलाक–उल–बिदात) में वर्णित किया जाता है। परन्तु तलाक में मान्यताप्राप्त रूप की भी दो स्थितियाँ हैं – अहसान (साधारण) और हसन (असाधारण)। अमान्यताप्राप्त रूप के भी कई प्रकार हैं। एक मुस्लिम विवाहिता 'तलाक' द्वारा अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। तलाक के प्रकार जो मुस्लिम कानून में

'खुला' और 'मिएंबरात' के रूप में हैं वे भी आपसी सहमति के आधार पर ही तलाक प्रदान करते हैं। इस्लाम से धर्म–परिवर्तन स्वयं ही विवाह समाप्ति के रूप में होता है। यह स्थिति आज तक बरकरार है। पत्नी के सम्बन्ध में मुस्लिम कानून द्वारा, यह विवाह का अन्त कर देता है। लेकिन अब उसे 1939 के अधिनियम के अन्तर्गत् तलाक के लिए अभियोग चलाना होगा और अधिनियम का आधार साबित करना होगा। मुस्लिम पत्नी मुस्लिम विवाह समाप्ति अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत् अपने पति से तलाक के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

तलाक पर बच्चों का संरक्षण

मुस्लिम विवाह समाप्ति अधिनियम, 1939 यद्यपि पत्नी की पहल पर न्यायिक तलाक के लिए व्यवस्था कर रहा है, तथापि यह अदालत को बच्चों के संरक्षण से सम्बन्धित आदेश देने के लिए सक्षम नहीं करता। इस तरह की किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए पक्ष को जो संरक्षण लेना चाहता है, उसे अभिभावक एवं संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत एक .. प्रस्ताव द्वारा अलग से सक्षम कोर्ट के पास जाना होगा।

अस्थायी विवाह

सिया कानून एक मुस्लिम पुरुष को एक मुस्लिम स्त्री या एक ऐसी स्त्री से जो 'किताबिया' हो या एक 'अग्नि की साक्षी' के साथ अस्थायी विवाह का समझौता कर सकता है। सहनिवास की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए (एक दिन, एक महीना, एक साल या कई साल), दहेज उल्लिखित होना चाहिए। एक अस्थायी विवाह पति–पत्नी को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं देता। अस्थायी विवाह के दौरान होने वाले बच्चे विधिक हैं और वे दोनों अभिभावकों से उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

3.4 विशेष विवाह अधिनियम, 1954

विशेष विवाह (प्रमुखतया कानूनी विवाह या पंजीकृत विवाह के नाम से जाना जाने वाला) एक ऐसा विवाह है जिसे विशेष अधिनियम 1954, के अन्तर्गत किया जाता है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है – एक ऐसी विवाह व्यवस्था करना जो धर्मनिरपेक्ष हो। इस प्रकार का विवाह समारोह पक्षों के धर्म पर निर्भर नहीं करता। विवाह से सम्बन्धित सभी नियमों को अधिनियम के अन्तर्गत् रखा जा सकता है और विवाह की मान्यता या उपलब्धता या वैवाहिक सुविधा के प्रश्न को लेकर धार्मिक कानूनों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम के अन्तर्गत् विवाह

क) धर्म–निरपेक्ष

ख) विधिक

ग) भारत में एकसमान, और

घ) उन सभी लोगों के लिए समान है जो अपने आपको इस अधिनियम के अन्तर्गत् मानते हैं। चाहे फिर उसका वंश, जाति या धर्म कुछ भी हो।

विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत् विवाहित व्यक्ति कोई अन्य पति या पत्नी नहीं रख सकता जब तक कि विवाह विद्यमान है। विवाह को अदालत में एक प्रस्ताव द्वारा किसी विशेष कारण के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह अनुमति योग्य है। विभिन्न धर्मों के लोग विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत् विवाह कर सकते हैं। एक ही धर्म से सम्बन्धित लोग भी इस अधिनियम के अन्तर्गत् विवाह कर सकते हैं। रिश्तों की निषेध क्रमिकता/वंश के अन्तर्गत् सम्मिलित लोग शादी नहीं कर सकते। इस तरह के विवाह 1976 के एक संशोधन द्वारा अनुमति योग्य है। विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत् वर की निम्नतिम आयु 21 वर्ष और वधू की निम्नतम आयु 18 वर्ष है। इस माँग की समाप्ति विवाह को रद्द घोषित करती है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

औपचारिकताएँः एक विवाह अनुबंधक द्वारा 21 दिन के नोटिस पर होता है ताकि प्रस्तावित विवाह के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो उसे दृष्टिगत किया जा सके। उसके पश्चात् दोनों पक्षों की माँग पर विवाह की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए गवाहों की उपस्थिति में निबन्धक द्वारा विवाह होता है।

पंजीकरणः एक विशेष विवाह का पंजीकरण विवाह के समय स्वमेव हो जाता है हालाँकि विवाह के वक्त एक प्रमाणपत्र दिया जाता है।

विवाह का रद्द होनाः एक विशेष विवाह अदालत द्वारा, नपुंसकता, पागलपन, विवाह के समय गर्भावस्था, धमकी या धोखे के आधार पर रद्द हो सकता है।

विवाह अधिकारों का प्रत्यार्पणः पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की वापसी के विधान/आदेश के लिए प्रस्ताव कर सकता है। इस तरह का विधान दूसरे पक्ष को पुनर्सहनिवास के लिए बुलाता है। इस तरह के विधान के बाद, यदि विधान बने एक साल बीत जाए तो पुनर्सहनिवास का नहीं होना अपने आप में तलाक का आधार बन जाता है।

न्यायिक अलगावः एक पत्नी या पति जो विवाह की तुरन्त समाप्ति नहीं चाहता लेकिन अलग–थलग रहना चाहता है, कोर्ट द्वारा तलाक न लेने के बजाय वह न्यायिक अलगाव प्राप्त कर सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत् न्यायिक अलगाव के आधार सामान्यतः तलाक के आधार के समान है।

तलाक के आधारः विशेष विवाह अधिनयम के अन्तर्गत् एक पक्ष द्वारा कोर्ट की सहायता से दूसरे पक्ष के अग्रलिखित हालातों और व्यवहार के प्रकार के आधारों पर तलाक लिया जा सकता है।

1) व्यभिचार

2) क्रूरतापूर्ण व्यवहार

3) कम से कम दो वर्ष तक परित्याग

4) ऐसा असाध्य उन्माद या मानसिक असंतुलन (जैसा कि भाग में वर्णित है) जिसमें प्रार्थी से विरोधी पक्ष के साथ रहने की विवेकपूर्ण आशा नहीं की जा सकती।

5) कुष्ठ जो वादी के संसर्ग से नहीं हुआ हो।

6) यौन संचारित बीमारियाँ (veneral diseases in communicable form)

7) दूसरे पक्ष द्वारा सात साल तक कोई खबर न लिए जाने पर।

8) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विरोधी पक्ष को सात साल का कारावास होने पर।

9) कम से कम एक साल के लिए न्यायिक अलगाव के आदेश के बाद पुनर्सहनिवास का अभाव।

10) कम से कम एक साल के लिए वैवाहिक अधिकारों के प्रर्त्यापण के विधान के साथ आज्ञाकारिता का न होना।

11) विवाह उपरांत पति का अप्राकृतिक संभोग या बलात्कार का दोषी होने पर

12) पति का कोर्ट द्वारा आदेशित राशि देने में अक्षम होने पर।

आपसी सहमति से तलाकः आपसी सहमति से तलाक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत उपलब्ध है, इसके लिए दोनों पक्षों को एक संयुक्त अनुरोध सक्षम कोर्ट को देना होगा और कम से कम एक साल तक अलग रहना होगा। ऐसे अनुरोध पर कोर्ट तलाक तुरंत नहीं देता। एक निश्चित समय तक कोर्ट को प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब दोनों पक्षों को पुनः आवेदन करना पड़ता है। कोर्ट में तलाक दिए जाने के लिए उस मामले में उनका संयुक्त दृढ़ विचार, विवाह

का अन्त करने के लिए जरूरी है। इन औपचारिकताओं के पूरा होने पर, कोर्ट तलाक के कानून द्वारा उनके विवाह को समाप्त कर सकता है।

कोर्ट को संतुष्ट होना होगा कि तलाक के लिए सहमति बलपूर्वक, धोखे या किसी दबाव के अन्तर्गत प्राप्त नहीं की गई है। प्रारंभिक प्रस्ताव के कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 18 महीने तक दूसरा प्रस्ताव तैयार हो जाना चाहिए।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्रः विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक सहायता के लिए कोर्ट, जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह हुआ था या पति–पत्नी साथ रहते थे, में अनुरोध दायर किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि विरोधी पक्ष (प्रतिवादी) भारत से बाहर रह रहा हो या सात साल तक कोई संपर्क न रहा हो तो सक्षम कोर्ट में, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रार्थी रहता है, अनुरोध किया जा सकता है।

अपील (अनुरोध): सक्षम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश (तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों के प्रापन या विवाह की अक्षमता) के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

पति पत्नी का रखरखाव (**Maintenance of Spouces**)

अधिनियम के अन्तर्गत, वैवाहिक सहायता देने में सक्षम अदालत पत्नी के पक्ष में पति के विरुद्ध कुछ साराशों जिनको कोर्ट उन परिस्थितियों में तर्कसंगत मानती है, को रखरखाव (maindenance) (अन्तरिक या स्थायी) देने का अधिकार है। इस तरह का आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया जा सकता है चाहे जिस प्रकार की सहायता माँगी गई हो; जैसे विवाह का रद्द होना, वैवाहिक अधिकारों का प्रापण, न्यायिक अलगाव या तलाक हो।

बच्चे: विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट के पास संरक्षण, शिक्षा और बच्चों के रखरखाव से सम्बन्धित उपयुक्त आदेश देने का अधिकार है और वह यह भी आदेश दे सकता है कि रखरखाव का खर्चा कौन उठाएगा।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत तलाक के कुछ आधारों का उल्लेख कीजिए।

....

....

....

....

....

....

3.5 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

हिन्दू विवाह कानून, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में समाहित है जो भारतीय संसद का एक अधिनियम है। यह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू किया गया।

हिन्दू कानून बहुविवाह की अनुमति नहीं देता। 1955 के बाद कोई भी हिन्दू पुरुष एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता तथा कोई हिन्दू स्त्री एक से अधिक पति नहीं रख सकती।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

हिन्दू जीवन को प्रभावित कर रहे अन्य अधिनियम हैं :

1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

2) हिन्दू दत्तक और भत्ता अधिनियम, 1956

3) हिन्दू अल्पसंख्यक और संरक्षण अधिनियम, 1956।

उपरोक्त अधिनियमों तथा सामान्य रिवाजों के अतिरिक्त अन्य कानून भी राज्यों में हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत, हिन्दू शब्द का तात्पर्य एक सिक्ख, जैन और बौद्ध से हो सकता है। इसके अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी के विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान तथा समझौता दोनो हैं और यह विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों के रीति–रिवाजों के अनुसार हो सकता है। विवाह एक कानून है और द्विविवाह, दण्ड संहिता के अन्तर्गत है। रिश्तों की निषेध क्रमिकता व्याख्यात्मक है और रद्द विवाह स्पष्ट है। चूंकि विवाह पवित्र है, अतः कानून पति–पत्नी को एक साथ रहने के लिए संयुक्त करता है।

एक हिन्दू और एक अन्य व्यक्ति जो हिन्दू नहीं है, हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह नहीं कर सकते। परन्तु 'नागरिक विवाह' द्वारा विवाह के बन्धन में बंध सकते हैं। नागरिक विवाह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाह निबंधक द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत सम्पन्न किया जाता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम जैन, बौद्ध और सिक्खों पर भी लागू होता है, हालाँकि अधिनियम अपने रीति–रिवाजों के अनुसार विवाह करने की अनुमति देता है।

विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति का उल्लंघन करने वाले लोग 'क्रिमिनल कोर्ट' में दण्ड के भागीदार हैं।

दोनों पक्ष शास्त्रिक (Sastric) समारोह करने के लिए या किसी रीति–रिवाज जो जाति या सम्प्रदाय में मनाए जाते हैं और जिनसे एक पक्ष सम्बन्धित हैं का पालन

करने के लिए स्वतंत्र है। यदि शास्त्रिक समारोह होता है तो सप्तपदी (सात फेरे) आवश्यक है और सात फेरों के पश्चात् वैवाहिक गठबंधन हो जाता है।

केवल उन राज्यों को छोड़कर जहाँ की राज्य सरकार ने इसको अनिवार्य बनाया है, हिन्दू विवाह का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। ऐसे राज्यों में भी पंजीकरण न होना विवाह को अप्रमाणित नहीं ठहराता, जब तक कि विवाह आपराधिक भरपाई तक नहीं पहुँचता।

वैवाहिक अधिकारों का प्रत्यार्पण

हिन्दू विवाह अधिनियम का भाग 9 उस स्थिति से सम्बन्धित है जब पति या पत्नी बिना किसी विवेकसंगत कारण के एक–दूसरे से सम्बन्ध–विच्छेद चाहते हैं। यदि विवाह पवित्र है तो हिन्दू कानून पति–पत्नी दोनों को एक साथ रहने की अनुमति देता है। तलाक अधिनियम का भाग 32 और विशेष विवाह अधिनियम का भाग 22 भी इस तरह की स्थिति से सम्बन्धित है। वैवाहिक अधिकारों की वापसी का मतलब उन अधिकारों से है जो दोनों पक्षों को पहले प्राप्त थे। अलग होने की इच्छा रखने वाले पक्ष द्वारा अलग होने का विवेकपूर्ण कारण साबित किया जाना चाहिए। यह वापसी शारीरिक अलगाव के साथ मानसिक प्रक्रिया को भी सम्मिलित करता है। वैवाहिक अधिकार देने में असमर्थता, साथ रहने से इनकार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध एक पक्ष को दूसरे पक्ष से अलग होने का आधार प्रदान करता है।

एक विवेकपूर्ण कारण को किसी सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। यह समय और परिस्थितियों के साथ बदलता है और इसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में तय करना होगा। अन्य कोई विवेकपूर्ण कारण जो हिन्दू दत्तक और अनुरक्षण (maintenance) अधिनियम, 1956 और 'न्यायिक आधार' क्रिमिनल प्रक्रिया कोड के भाग 125 में प्रयुक्त होते हैं, वे 'तर्कपूर्ण कारण' की व्याख्या पर निर्भर हैं। पुराने हिन्दू कानून के अन्तर्गत पति जीविका कमाता था और पत्नी घरेलू कर्त्तव्यों को

निभाती थी। विवाह के समय पत्नी को पति के घर जाना होता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और अब पति–पत्नी दोनों ही को जीविकोपार्जन करना पड़ता है और वह भी कभी–कभी अलग–अलग जगह पर। वैवाहिक घर और बिना किसी तर्कसंगत कारण के वापसी (widrawl) के संबंध में यह एक उलझनपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है, मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों ही इस भाग के अन्तर्गत तर्कपूर्ण कारण है। यदि पति के व्यवहार से पत्नी को अपनी जिन्दगी के लिए कोई डर है तो यह एक तर्कपूर्ण कारण हो सकता है। पति की नपुंसकता और पति के साथ पत्नी का सम्बन्ध रखने से इंकार इस भाग के अन्तर्गत न्यायिक आधार हैं। पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की वापसी के आदेश के लिए प्रस्ताव कर सकता है। इस तरह का आदेश दूसरे पक्ष को पुनः सहवास (resume cohabitation) के लिए बुलाता है। इस तरह के आदेश के बाद, यदि आदेश दिए एक साल बीत जाए तो सहवास के लिए पुनः न आना अपने आप में तलाक का आधार बन जाता है।

न्यायिक अलगावः एक पत्नि या पति जो विवाह की तुरन्त समाप्ति नहीं चाहते परन्तु दूसरे पक्ष को कुछ समय देना चाहते हैं, वे तलाक के बजाय न्यायिक अलगाव द्वारा ऐसा कर सकते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक अलगाव के वही आधार है जो तलाक के हैं।

न्यायिक अलगाव के आदेश के बाद, एक पक्ष दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं है। ऐसा होने के बावजूद विवाह एक कानूनी रिश्ते के रूप में रहता है। यदि दोनों पक्ष न्यायिक अलगाव के आदेश के बाद एक साल के लिए साथ न रहे हों तो दोनों में से कोई भी पक्ष न्यायालय में तलाक के लिए अनुरोध कर सकता है। इस समय तलाक के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं होती। एक साथ न रहना ही तलाक का आधार बन जाता है।

तलाक के आधार

हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत, एक पक्ष द्वारा तलाक, न्यायालय की सहायता से दूसरे पक्ष के निम्नलिखित व्यवहारों और परिस्थितियों के आधार पर लिया जा सकता है :

1) व्यभिचार

2) क्रूरतापूर्ण व्यवहार

3) कम से कम दो वर्ष तक परित्याग

4) धर्म परिवर्तन (दूसरे पक्ष का)

5) असाध्य उन्माद या मानसिक असंतुलन

6) असाध्य और विषाक्त (वाइरस का) कोढ़

7) यौन संचारी बीमारियाँ

8) संसार से विमुख हो संन्यासी बनना

9) दूसरे पक्ष द्वारा सात साल तक कोई खबर न लिया जाना

10) न्यायिक अलगाव के आदेश के बाद कम से कम एक वर्ष के लिए अलग रहना

11) कम से कम एक साल के लिए वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यार्पण के आदेश के साथ अनुपालन का न होना

12) विवाह उपरान्त पति का अप्राकृतिक सम्भोग या बलात्कार का दोषी पाया जाना

13) न्यायालय द्वारा आदेशित भत्ता देने में पति का सक्षम न होना

14) आपसी सहमति

इनके अतिरिक्त प्रथानुसार तलाक हो सकता है।

तलाकों के आधारों की व्याख्या

1) **व्यभिचार** : व्यभिचार से तात्पर्य उन लोगों के बीच स्वैच्छिक यौन सम्बन्ध से है जो आपस में शादी–शुदा नहीं है।

2) **क्रूरता का व्यवहारः** 'क्रूरता का व्यवहार' तलाक का आधार है। यद्यपि अधिनियम में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन हाल ही के न्यायिक व्याख्या के अनुसार, इसका अर्थ एक ऐसे व्यवहार से है जो इस तरह का हो कि दूसरे से उसके साथ रहने की विवेकपूर्ण उम्मीद न की जा सकती हो। जिन्दगी को खतरा हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। अलगाव में तुच्छ हरकतें क्रूरता में नहीं आ सकतीं परन्तु अपनी सम्पूर्णता में आ सकती हैं।

3) **धर्म परिवर्तनः** यदि एक हिन्दू है और दूसरे धर्म को अपनाता है तो दूसरा इस आधार पर तलाक के लिए प्रार्थना कर सकता है। धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति तबतक पुनर्विवाह नहीं कर सकता, जब तक दूसरे को तलाक नहीं दिया जाता। धर्म–परिवर्तन को तलाक के आधार के रूप में पहचान दिए जाने का कारण यह है कि धर्म परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है और दूसरे व्यक्ति से यह आशा करना कि धर्म परिवर्तन के बाद वह उसके साथ रहे, विवेकपूर्ण नहीं होगा।

4) **आपसी सहमतिः** 1976 से एक हिन्दू जोड़ा आपसी सहमति से कोर्ट द्वारा तलाक प्राप्त कर सकता है। दोनों पक्षों को सक्षम कोर्ट में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश करना होगा। तलाक तुरन्त नहीं दिया जाता है। कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट अन्तराल के लिए इन्तजार करना पड़ता है और तब पक्षों को तलाक के लिए कोर्ट में पुनः प्रस्ताव करना होगा अर्थात् तलाक प्राप्त करने के अपने संकल्प को पुनः दृढ़तापूर्वक कहना होगा।

एक बार ऐसा होने पर कोर्ट तलाक प्रदान कर देगा। तलाक के लिए और वैवाहिक कार्यवाही के लिए जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय है। शहरों में जहाँ सिटी सिविल कोर्ट है उसे भी यह अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा अधीनस्थ जिला कोर्ट को इस अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में पद पर अभिषिक्त कर सकता है।

वैवाहिक सुविधा के लिए अनुरोध जिला न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह हुआ था या जिसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत दोनों पक्ष एक साथ रहते हैं या रहे थे। इसके अतिरिक्त, यदि विरोधी पक्ष (प्रतिवादी) भारत से बाहर रह रहा हो, तो प्रस्ताव करने वाला पक्ष (प्रार्थी) जिला न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रार्थी रहता है, में प्रस्ताव दायर कर सकता है।

एक पक्ष जिसका विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त है वह 'समाप्ति के आदेश', के विरुद्ध अपील करने की समय सीमा के बाद पुनर्विवाह। यदि एक अपील पहले से ही दायर की जा चुकी है तो अपील का निपटारा होने तक पक्ष पुनर्विवाह नहीं कर सकता।

जिला न्यायालय द्वारा तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों का प्रत्यार्पण या विवाह का रद्द किए जाने आदि से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कुछ केसों के संबंध में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि उस केस के अन्तर्गत कानून का कोई ठोस प्रश्न आता है जिसका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाना आवश्यक है। विकल्प में, सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष समय देना होगा।

5) पति–पत्नी का अनुरक्षण (**Maintenance of Spouses**): वैवाहिक सुविधा (तलाक, न्यायिक अलगाव, विवाह का रद्द होना, या वैवाहिक अधिकारों को प्रत्यर्पण) देने के किसी भी आदेश को पारित करते वक्त अदालत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अनुरक्षण देने के संबंध में उचित आदेश दे सकती है।

तलाक देने पर या वैवाहिक सुविधा देने पर, अदालत पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को अनुरक्षण देने का आदेश दे सकती है।

अनुरक्षण का आदेश देते समय तलाक के लिए कार्यवाही आदि के संदर्भ में कोर्ट को दोनों पक्षों की आर्थिक क्षमता (आय के साथ–साथ संपत्ति), देने की योग्यता, पक्षों की आवश्यकता, उनका व्यवहार इत्यादि बातों को ध्यान में रखना होता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम इस संबंध में कोई सीमा तय नहीं करता। धनराशि दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

अनुरक्षण आदेश परिस्थितियों के बदलने पर कोर्ट द्वारा बदले या रद्द किए जा सकते हैं। ऐसा किसी भी वक्त हो सकता है।

अनुरक्षण के लिए आदेश कोर्ट द्वारा रद्द किए जा सकते हैं बशर्ते ऐसा देखा जाए कि जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया था उसने पुर्नविवाह कर लिया है या वह एक अनैतिक जीवन गुज़ार रहा है।

यदि आदेश अनुरक्षण के लिए (for maintenance) संग्रहित नहीं है तो उस पक्ष जो आदेश के अन्तर्गत अनुरक्षण देने को बाधित है, के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की जा सकती है।

हिन्दू विवाह अधिनियम कोर्ट को सक्षम बनाता है कि वह निर्देश देने के लिए कि कार्यवाही की ? पति या पत्नी दूसरे पक्ष को अन्तरिम अनुरक्षण, जिसे कोर्ट न्यायसंगत समझता हो, हालात के अनुसार, निर्देश दे। यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो धनराशि बदली जा सकती है।

6) **बच्चों का संरक्षण:** हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत, कोर्ट को यह अधिकार है कि वह बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और रख–रखाव के सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश दे तथा यह भी आदेश दे कि रख–रखाव का खर्चा कौन उठाएगा।

वर्तमान न्यायिक सोच के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विचार बच्चे की भलाई है। न्यायालय यह देखेगा कि बच्चे का जुड़ाव किससे अधिक है? कौन–सा अभिभावक बच्चे का पालन–पोषण उचित तरीके से करेगा? बच्चे के लिए कौन–सी सुविधाएँ मौजूद हैं और इसी तरह के अन्य मामले। यदि बच्चा इतना बड़ा है कि अपनी पसन्द व्यक्त कर सकता है, तो न्यायालय बच्चे की पसन्द को ध्यान में रखेगा, यद्यपि न्यायालय प्रत्येक केस में ऐसा करने को बाधित नहीं है। ऐसे उद्देश्य के लिए कोर्ट में बच्चे की माँग अनुमति योग्य है।

न्यायालय को बच्चे का संरक्षण किसी भी अभिभावक को देने से पूर्व सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं है।

कभी–कभी न्यायालय ऐसे आदेश देता है कि यद्यपि बच्चा माँ के संरक्षण में रहेगा, तथापि पिता को बच्चे से मिलने (हफ्ते में एक बार और बच्चे के साथ कुछ घण्टे बिताने) का अधिकार है। इसे बच्चे से 'मिलन' या 'पहुँच' का अधिकार कहा जाता है।

बच्चे के संरक्षण, शिक्षा और रखरखाव से सम्बन्धित न्यायालय के समस्त आदेश बदले या रद्द किए जा सकते हैं, यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव आता है। प्रमुख विचार बच्चे की भलाई है। हिन्दू विवाह अधिनियम ऐसी व्यवस्था करता है कि विवाह के रद्द होने पर बच्चा अवैध नहीं होता। परन्तु ऐसे बच्चे अभिभावक, जिनका विवाह रद्द हुआ है, को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति विरासत में प्राप्त नहीं कर सकते।

7) **प्रक्रियाएँ (Proceedings)** : हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा न्यायालय से यह उम्मीद की जाती है कि वह पति–पत्नी (जो वैवाहिक प्रक्रिया के पक्ष हैं) के बीच दोबारा सुलह कराने का प्रयास, केस की परिस्थितियों के अनुरूप करे।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायालय को बन्द दरवाजे के पीछे रहना होता है, यदि कोई–सा पक्ष ऐसा चाहे या न्यायालय ऐसा आदेश करे। जब न्यायालय बन्द दरवाजे के पीछे होता है (गुप्त बैठक में) तब प्रेस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रक्रियाओं का प्रकाशन नहीं कर सकता।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं जो कुटुम्ब न्यायालय (family courts) होते हैं। इस तरह की अदालतों के न्यायाधीश विशेष रूप से अनुभवी होने चाहिए तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आम अदालतों की तुलना में कम औपचारिक रास्ता अपनाएंगे।

जब किसी क्षेत्र के लिए कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, तब हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र उस न्यायालय को स्थानान्तरित हो जाते हैं।

कुटुम्ब कोर्ट की रचना तलाक के आधारों को बढ़ाती नहीं है जो कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। यह केवल ऊपर वर्णित अधिकारक्षेत्र और प्रक्रिया को संयत करती है।

कुटुम्ब न्यायालय में वकील केवल अदालत की अनुमति से ही आ सकते हैं।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणी: अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) कौन से अन्य धार्मिक समुदाय हैं जिनके लिए हिन्दू धार्मिक विवाह अधिनियम, 1955 उपयुक्त है?

....

....

....

....

....

....

2) 'वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यार्पण' से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

....

....

3.6 सारांश

इन इकाइयों में विवाह के अन्तर्गत आने वाले कानूनी मुद्दों का परीक्षण किया गया। विवेचन का प्रमुख केन्द्र हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 था। वैवाहिक अधिकारों का प्रत्यार्पण, न्यायिक अलगाव और तलाक के आधारों के साथ ही कुछ प्रमुख पहलुओं का परीक्षण किया गया। तलाक के विभिन्न आधारों के विवेचन के लिए एक प्रयत्न किया गया और उस प्रक्रिया के दौरान देखभाल और खर्चे की व्यवस्था से सम्बन्धित व्याख्या का वर्णन करने का एक प्रयास किया गया। स्थायी

निर्वाह–व्यय (alimony) और रखरखाव (maintenance) के साथ–साथ छोटे बच्चों का संरक्षण इस विवेचन के अन्य लक्षण हैं।

3.7 शब्दावली

हिन्दू : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हिन्दू शब्द से अभिप्रायः ऐसे व्यक्ति से है जो हिन्दू न हो परन्तु एक सिक्ख, जैन और बौद्ध हो सकता है।

लम्बित मुकदमे : मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान मुकदमेबाजी (litigation)

निर्वाह–व्यय (Alimony): राशि जो एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी या पूर्व पत्नी अथवा एक औरत द्वारा अपने पति या पूर्व पति को अलग या तलाक लिए जाने के बाद दी जाती है।

मानसिक अव्यवस्था : 'मानसिक अव्यवस्था' का भावार्थ है – मानसिक बीमारी, रुकावट या दिमाग का अपूर्ण विकास, या दिमाग की अन्य अव्यवस्था या अयोग्यता जिसका परिणाम असामान्य उग्रता या गंभीर रूप से गैर–जिम्मेदारान व्यवहार होता है।

परित्याग : परित्याग का अर्थ प्रतिवादी द्वारा बिना किसी उपयुक्त कारण और सहमति के वादी का परित्याग करना है। इसमें दूसरे पक्ष द्वारा वादी की जानबूझकर अवहेलना करना शामिल है।

3.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

दयाल, आर. (1995), ''लॉ रिलेटिंग टू डॉवरी' प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी, इलाहाबाद

मेयेन, जॉन डी. ''मेयेन्स हिन्दू लॉ एण्ड यूसेज' (13वाँ संस्करण, 1993) (न्यायधीश अल्लादी, कुपुस्वामी द्वारा संशोधित) भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली

नीति पुरोहित (दूसरा संस्करण, 1998), ''दी प्रिन्सीपल ऑफ मोहम्मडन लॉ'' ओरिएण्ट पब्लिशिंग कम्पनी, इलाहाबाद।

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) ईसाई विवाह एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास धर्माध्यक्ष अध्यादेश है, स्कॉटलैण्ड के एक धार्मिक पादरी, धर्म के अनुज्ञाकारी मंत्री, अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त एक विवाह अनुबन्धक, अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय क्रिश्चियन के बीच विवाह प्रमाणपत्र देने के लिए अनुज्ञाकारी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 2

1) व्यभिचार, क्रूरतापूर्ण व्यवहार, कम से कम दो वर्ष तक परित्याग, ऐसा असाध्य उन्माद या मानसिक अव्यवस्था (जैसा कि इकाई में वर्णित है) जिसमें प्रार्थी से विरोधी पक्ष के साथ रहने की विवेकपूर्ण आशा नहीं की जा सकती, कोढ़ जो वादी से नहीं हुआ हो, यौन संचारी बीमारियाँ (veneral diseases inacommunicable form), दूसरे पक्ष द्वारा सात साल तक कोई खबर न लिए जाने पर, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विरोधी पक्ष को सात साल का कारावास होने पर कम से कम एक साल के लिए न्यायिक अलगाव के आदेश के बाद पुनर्सहवास का नहीं होना, कम से कम एक

साल के लिए वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यार्पण के विधान के साथ आज्ञाकारिता का न होना, विवाह उपरान्त पति का अप्राकृतिक सम्भोग या बलात्कार का दोषी होने पर, कोर्ट द्वारा आदेशित राशि देने में पति के अक्षम होने पर।

बोध प्रश्न 3

1) जैन, बौद्ध और विलम्ब।

2) साधारणतया 'वैवाहिक अधिकारों का प्रत्यार्पण' से अभिप्राय उन वैवाहिक अधिकारों की वापसी से है जो दोनों पक्षों के पास पहले थे। चूंकि विवाह पवित्र है इसलिए हिन्दू कानून पति–पत्नी को एक–दूसरे के साथ रहने का जोड़ता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 घरेलू हिंसाः इसके कारण और प्रभाव

*डॉ. ग्रेस डॉनमचिंग

रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 घरेलू हिंसा पर सिद्धांत

4.3 घरेलू हिंसा की श्रेणियाँ और इसके प्रभाव

4.4 घरेलू हिंसा का प्रभाव

4.5 घरेलू हिंसा को कम करने के लिए कदम

4.6 सारांश

4.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट शायद ही कभी उन महिलाओं द्वारा की जाती है जो चुपचाप अपने पति की प्रतिष्ठा की रक्षा करती हैं और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कीमत पर डर से भी बाहर निकलती हैं।

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आपको निम्नलिखित करने में सक्षम होना चाहिए:

- घरेलू हिंसा के सिद्धांतों और श्रेणियों को समझने में;

* डॉ. ग्रेस डॉनमचिंग, इग्नू, नई दिल्ली

- घरेलू हिंसा के प्रभाव की व्याख्या करने; तथा
- घरेलू हिंसा को कम करने के लिए कदमों का वर्णन करने।

4.1 प्रस्तावना

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका जा सकता है। "संयुक्त राष्ट्र घोषणा का महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन, महासभा संकल्प'' दिसंबर, 1993।

घरेलू हिंसा एक खतरनाक अंतरंगता, शारीरिक हमला, यौन हमला, और / या अन्य अपमानजनक व्यवहार है जो सत्ता के एक व्यवस्थित पैटर्न के हिस्से के रूप में है और एक दूसरे के खिलाफ एक अंतरंग साथी द्वारा नियंत्रित है। इसमें शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और भावनात्मक शोषण शामिल है। घरेलू हिंसा की आवृत्ति और गंभीरता नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है; हालांकि, घरेलू हिंसा का एक निरंतर घटक एक साथी की शक्ति को बनाए रखने और दूसरे पर नियंत्रण रखने का लगातार प्रयास है।

घरेलू हिंसा हर समुदाय में व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली एक पारिवारिक समस्या है, चाहे वह किसी भी उम्र, आर्थिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, लिंग, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता की हो। यह अक्सर भावनात्मक रूप से अपमानजनक और व्यवहार को नियंत्रित के साथ होता है यह केवल प्रभुत्व और नियंत्रण के एक व्यवस्थित पैटर्न का एक अंग घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप शारीरिक चोट, मनोवैज्ञानिक आघात और गंभीर मामला मृत्यु भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के विनाशकारी शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम पीढ़ियों को पार कर सकते हैं और जीवन भर रह सकते हैं। घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है।

घरेलू हिंसा को एक वयस्क द्वारा दूसरे को नियंत्रित करने के लिए एक रिश्ते में दुरुपयोग की गई शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह हिंसा और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों के माध्यम से एक रिश्ते में नियंत्रण और भय की स्थापना है। यह हिंसा शारीरिक हमला, मनोवैज्ञानिक शोषण, सामाजिक शोषण, वित्तीय शोषण या यौन हमला का रूप ले सकती है। हिंसा की आवृत्ति कभी–कभी या बंद हो सकती है, घरेलू हिंसा केवल एक तर्क नहीं है। यह जबरदस्त नियंत्रण का एक पैटर्न है जो एक व्यक्ति दूसरे पर अभ्यास करता है। नशेड़ी शारीरिक और यौन हिंसा, धमकियों, भावनात्मक अपमान और आर्थिक अभावों को अपने पीड़ितों पर हावी होने और अपना रास्ता पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं '(डब्ल्यूएचओ, 2007)।

घरेलू हिंसा सामाजिक व्यवस्था के कई क्षेत्रों पर एक बोझ है और चुपचाप, फिर भी नाटकीय रूप से, एक राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है ... कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, खोए श्रम और विकास में सामान्य प्रगति के संदर्भ में मारने वालों की दर राष्ट्रों को प्रभावित करती है। ये दर न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करती हैं; भविष्य में परिवार और समुदाय के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हमले के रूप में शुरू होती है। (जिमरमैन, 1994)

व्यापक रूप से, घरेलू हिंसा तब होती है जब अंतरंग संबंध में एक व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को डर या नुकसान होता है। सामान्य समुदाय के भीतर यह सबसे आम शब्द है।

घरेलू हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है जो राष्ट्रीय सीमाओं के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और वर्ग भेदों तक पहुंचता है। यह समस्या न केवल भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से फैली हुई है, बल्कि इसकी घटना भी व्यापक है, जिससे यह एक विशिष्ट और स्वीकृत व्यवहार है। घरेलू हिंसा व्यापक रूप से फैली हुई है, गहराई से प्रभावित है और महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसका निरंतर अस्तित्व नैतिक

रूप से अनिश्चित है। व्यक्तियों, स्वास्थ्य प्रणालियों और समाज के लिए इसकी लागत बहुत अधिक है। फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की किसी अन्य बड़ी समस्या को इतनी व्यापक रूप से अनदेखा नहीं किया गया है और इसे बहुत कम समझा गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (भारत में) कहता है कि कोई भी अधिनियम, आचरण, चूक या कमीशन जो हानि या चोट पहुंचाता है या नुकसान या चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसे कानून द्वारा घरेलू हिंसा माना जाएगा। यहां तक कि चूक या कमीशन का एक भी कार्य घरेलू हिंसा का गठन हो सकता है – दूसरे शब्दों में, महिलाओं को कानून का सहारा लेने से पहले लंबे समय तक दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होना पड़ता है। कानून में बच्चों को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा पुरुषों और महिलाओं के द्वारा परित्यक्त (perpetrated) है। हालांकि, सबसे अधिक, पीड़ित महिलाएं हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह बताया गया है कि महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए सभी हिंसक अपराधों में से 85 प्रतिशत अंतरंग साथी हिंसा के मामले हैं, पुरूषों की तुलना में 3 प्रतिशत हिंसक अपराधों की तुलना में।

भारत में घरेलू हिंसा सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के बीच का अंतर है, जैसे कि वैवाहिक जीवन के हिस्से के रूप में हिंसा की व्यापक स्वीकृति, और पुरुष पात्रता, महिलाओं पर प्रभुत्व और नियंत्रण के साथ पुरुषत्व का समीकरण और व्यक्तिगत कारक जैसे कम आत्म– सम्मान महिलाओं के बीच, संदेह और नकारात्मकता। चूंकि यह न केवल व्यक्तिगत पुरुष हैं जो घरेलू हिंसा के कार्यों में शामिल हैं, बल्कि महिला परिजन जैसे सास भी हैं, यह शक्ति और नियंत्रण और शक्ति संबंधों के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ के निहित जनादेश के बजाय पुरुष हिंसा के लिए विश्वसनीयता प्रदान करता है।

4.2 घरेलू हिंसा पर सिद्धांत

संसाधन सिद्धांत

संसाधन सिद्धांत को पहले गोडे (1971 में) ने अपनाया और सुझाव दिया कि एक पति अपने रिश्ते के लिए जितने अधिक संसाधन लाएगा, उसके पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी, लेकिन वह वास्तव में हिंसा का सहारा लेगा। हालांकि, जब किसी व्यक्ति की बेहतर शक्ति को पत्नी की शैक्षिक या नौकरी से संबंधित संसाधनों तक पहुंच से खतरा होता है, तो वह खुद को फिर से प्रभावी बनाने के लिए हिंसा का सहारा ले सकता है।

विनियम सिद्धांत

विनिमय सिद्धांत बताता है कि घरेलू हिंसा विशेष रूप से उन समाजों में अधिक होगी जहां अपराधियों को इसका लाभ अधिक है और विशेष रूप से उन समाजों में जहां पर अपराधियों की दर कम है। कई समाजों में हिंसा की दर कम होती है क्योंकि इस तरह के अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रणों और पुरुष आक्रामकता पर जोर वास्तव में इसे प्रोत्साहित करता है।

पितृसत्तात्मक सिद्धांत

यह सिद्धांत मानता है कि पूरे इतिहास में, पुरुषों का समाज पर प्रभुत्व रहा है और महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। पितृसत्तात्मक मानदंड पुरुषों की अपनी पत्नियों को नियंत्रित करने की क्षमता की रक्षा करते हैं और हिंसा करने के लिए उनके उपयोग को उचित ठहराते हैं।

आधुनिकीकरण सिद्धांत

आधुनिकीकरण अक्सर विशिष्ट मानदंडों और सार्वभौमिकता और उपलब्धि पर सार्वभौमिकता का मूल्यांकन करता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं (और पुरुषों) को देश के आधुनिकीकरण के रूप में पारंपरिक लिंग मानदंडों से मुक्त किया जाएगा।

आर्थिक निर्भरता का सिद्धांत

आर्थिक निर्भरता अक्सर महिलाओं की शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों तक पहुंच में कमी के साथ जुड़ी रही है।

4.3 घरेलू हिंसा की श्रेणियां और इसके कारण

हालाँकि, शारीरिक हिंसा को अक्सर समुदाय द्वारा घरेलू हिंसा के मुख्य रूप के रूप में पहचाना जाता है, फिर भी समान रूप से गैर–शारीरिक व्यवहार को नुकसान पहुंचाते हैं जिन्हें अपमानजनक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पहचाना जाना चाहिए। हिंसा की श्रेणियां हैं:

1. शारीरिक दुर्व्यवहार

इसमें सीधे व्यक्ति पर हमला करना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, लात मारना, मारना, काटना हिलाना, जलाना, बाल खींचना, हथियार का उपयोग करना, उदाहरण के लिए, बेल्ट से मारना, पत्थर मारना, लाठी से मारना, भाला चलाना आदि शामिल हैं।

2. यौन दुर्व्यवहार

किसी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या अपनी इच्छा के विरुद्ध यौन क्रियाओं में भाग लेना या किसी वस्तु या शरीर के हिस्से का उपयोग बिना अनुमति या सहमति के योनि, मुंह या गुदा में प्रवेश, यौन अंगों को घायल करना, जानबूझकर सेक्स के दौरान किसी को चोट पहुंचाना, किसी के लिए असुरक्षित यौन संबंध, गर्भावस्था या यौन संचारित रोगों से सुरक्षा के बिना, किसी को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना या अपनी इच्छा के विरुद्ध नग्न रहना, पोर्नोग्राफी के लिए मुद्रा बनाना या अपनी इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी देखने के लिए मजबूर होना, निरीक्षण करना या यौन गतिविधियों, दृश्यरतिकता या

प्रदर्शनीवाद में भाग लेना, यौन अपमानजनक टिप्पणियां करना, नाम और किसी भी अन्य प्रकार का यौन उत्पीड़न करना।

3. मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग

मौखिक दुरुपयोग में अपमानित करने, नीचा दिखाने, नीचा दिखाने, धमकी देने, धमकाने या डराने–धमकाने का इरादा शामिल है और इसमें किसी व्यक्ति के होने या उनकी सामाजिक भूमिका के किसी विशेष हिस्से को उजागर करने के लिए अपमानजनक भाषा या लगातार पुट–डाउन का उपयोग शामिल है। नतीजतन, व्यक्ति इस दुरुपयोग को अपनी पहचान पर हमले के रूप में अनुभव कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। परिणामस्वरूप, मौखिक भावनात्मक शोषण से निकटता से संबंधित है। भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार एक व्यक्ति को यह महसूस करा सकता है कि वे परिवार या एक रिश्ते में समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं।

4. आध्यात्मिक या सांस्कृतिक दुरुपयोग

यह तब होता है जब किसी साथी या परिवार के सदस्य को उनके मानवीय, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक अधिकारों और जरूरतों को अस्वीकार करने के लिए शक्ति और नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। इसमें धर्म या संस्कृति का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है ताकि व्यवहार को सही ठहराने के लिए विशेष रूप से दुर्व्यवहार किया जा सके।

5. सामाजिक दुर्व्यवहार

सामाजिक दुर्व्यवहार और अलगाव का उपयोग आमतौर पर अपराधियों द्वारा पीडितों के सहायक मित्रों, परिवार और सामदायिक एजेंसियों से अलग करने के लिए किया जाता है। यह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जहाँ सस्ते परिवहन की सीमित पहुंच है, जहां

आग्नेयास्त्र (firearms) अधिक आम हैं, पड़ोसियों और सहायता सेवाओं से अलगाव बढा है, और समुदाय छोटे हैं। यह दुरुपयोग सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों की महिलाओं के लिए भी अधिक प्रचलित हो सकता है।

6. आर्थिक या वित्तीय दुरुपयोग

एक रिश्ते या परिवार में वित्त के असमान नियंत्रण और बुनियादी जरूरतों से वंचित करना शामिल है।

घरेलू हिंसा के कारण

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए कोई एक कारक नहीं है। कई जटिल और परस्पर संस्थागत सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों ने महिलाओं को उन पर निर्देशित हिंसा के लिए विशेष रूप से संवेदनशील रखा है, उन सभी में पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्तियां हैं। इन असमान शक्ति संबंधों में योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं: सामाजिक–आर्थिक ताकतें, पारिवारिक संस्था जहां शक्ति संबंध लागू किए जाते हैं, महिला कामुकता पर भय और नियंत्रण, पुरुषों और विधानों की विरासत और सांस्कृतिक प्रतिबंधों में विश्वास, कानून और सांस्कृतिक प्रतिबंधों की श्रेष्ठता जो पारंपरिक रूप से महिलाओं और बच्चों को एक स्वतंत्र कानूनी और सामाजिक स्थिति से वंचित करती है। आर्थिक संसाधनों की कमी से महिलाओं की हिंसा की चपेट में आने और हिंसात्मक संबंधों से खुद को निकालने में कठिनाई होती है। हिंसा और आर्थिक संसाधनों की कमी और निर्भरता के बीच की कड़ी वृत्ताकार है। एक ओर, हिंसा का खतरा और भय महिलाओं को रोज़गार की तलाश में रखता है, या, सबसे अच्छा, उन्हें कम–भुगतान, घर–आधारित शोषणकारी श्रम स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है, और दूसरी ओर, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को कोई शक्ति नहीं है कि एक अपमानजनक रिश्ते से बचे। इस तर्क का उलटा भी कुछ देशों में सच है; अर्थात्, महिलाओं की बढ़ती आर्थिक गतिविधि

और स्वतंत्रता को एक खतरे के रूप में देखा जाता है जो पुरुष हिंसा को बढ़ाता है। यह विशेष रूप से सच है जब पुरुष साथी बेरोज़गार है, और अपनी शक्ति को घर में कम महसूस करता है। शराब और अन्य दवाओं की अत्यधिक खपत भी महिलाओं और बच्चों के प्रति आक्रामक और हिंसक पुरुष व्यवहार को भड़काने वाले कारक के रूप में नोट की गई है। अपने परिवारों और समुदायों में महिलाओं का अलगाव वृद्धि हुई हिंसा में योगदान करने के लिए जाना जाता है, खासकर अगर उन महिलाओं की परिवार और स्थानीय संगठनों तक बहुत कम पहुंच है।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक सदियों पुरानी घटना है। महिलाओं को हमेशा कमजोर, संवेदनशील और शोषण की स्थिति में माना जाता था। हिंसा को लंबे समय से महिलाओं के साथ होने वाली चीज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है। सांस्कृतिक गलियारे, धार्मिक प्रथाएं, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां घरेलू हिंसा को शुरू करने और उसे खत्म करने के लिए पूर्व निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन अंततः हिंसा का एक ऐसा कार्य एक विकल्प है जो व्यक्ति विकल्पों की एक सीमा से बाहर कर देता है।हालाँकि, भारत सहित किसी भी देश में लिंग–आधारित हिंसा के सिद्धांत में मैक्रो सिस्टम–स्तरीय बलों (जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों) के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत स्तर के चर (जैसे कि किसी के माता–पिता के बीच हिंसा का अवलोकन करना), अनुपस्थित या अस्वीकार करने वाले पिता, अपराधी सहकर्मी संघ) भी इस तरह की हिंसा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरेलू हिंसा में लिंग असंतुलन आंशिक रूप से शारीरिक शक्ति और आकार के अंतर से संबंधित है। इसके अलावा, दुनिया भर में विभिन्न समाजों में महिलाओं को उनके लिंग भूमिकाओं में सामाजिक रूप दिया जाता है। पितृसत्तात्मक सत्ता संरचना और कठोर लिंग भूमिकाओं के साथ समाजों में, महिलाएं अक्सर अपने आप को बचाने के लिए असक्षम होती हैं यदि उनके साथी हिंसक हो जाते हैं। हालांकि, अधिकांश असमानता का संबंध इस बात से है कि पुरुषों की निर्भरता और भय एक सांस्कृतिक निरस्त्रीकरण की राशि है। पति जो पत्नियों को पीटते हैं, वे आमतौर

पर महसूस करते हैं कि वे एक सही काम कर रहे हैं, परिवार में अच्छा क्रम बनाए रखते हैं और अपनी पत्नियों को दंडित करते हैं– विशेष रूप से पत्नियों को उचित जगह रखने में विफलता। (WHO, 2001).

महिलाओं की टास्क फोर्स रिपोर्ट, 2000 से पता चलता है कि 'काम से संबंधित तनाव, जुआ और वित्तीय कर्ज, ड्रग्स / अल्कोहल का उपयोग और आग्नेयास्त्रों की पहुंच को घरेलू हिंसा के लिए अतिरिक्त कारण कारकों के रूप में भी पहचाना गया है, हालांकि वे गरीबों से भी जुड़े हो सकते हैं। आवेग नियंत्रण हिंसा पर आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर महिला कार्य बल ने संकेत दिया कि शराब अक्सर नकारात्मक व्यवहार के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य बहाना प्रदान करके हिंसा की सुविधा देती है।

जेजेभॉय (1998) का विचार है कि न केवल पत्नी की पिटाई गहराई से होती है, बल्कि लोग इसे सही भी ठहराते हैं। इस प्रकार, घरेलू हिंसा केवल एक व्यक्तिगत असमान्यता नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज के सांस्कृतिक मानदंडों में निहित है। फिर, एक और कोण से देखने पर पता चलता है कि घरेलू हिंसा के शिकार कई लोगों ने या तो हमले के अपराधी का नाम लेने से इंकार कर दिया या अन्य कारणों से चोटों को जिम्मेदार ठहराया (डागा एट अल., 1999)।

मूर्ति एट अल (2004) का मत है कि परिवार के सदस्यों की संख्या, विवाह के प्रकार और पति की शिक्षा के अलावा मासिक धर्म की समस्याओं का घरेलू हिंसा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) घरेलू हिंसा की कोई तीन श्रेणियां बताइए?

....

....

....

....

....

....

2) घरेलू हिंसा के मुख्य कारण क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

4.4 घरेलू हिंसा का प्रभाव

हिंसा न केवल शारीरिक चोट का कारण बनती है, बल्कि यह पीड़ित, अपराधी और समाज सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण को भी प्रभावित करती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर उनके प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सहित गंभीर परिणाम होते हैं। इनमें अन्य लोगों के बीच चोट, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, अस्थायी या स्थायी विकलांगता, अवसाद और आत्महत्या शामिल हैं।

मौखिक और मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग के कई रूप पहली बार में अपेक्षाकृत हानिरहित दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ और कभी–कभी धीरे–धीरे और अधिक तीव्रता से बढ़ते हैं। जैसा कि पीड़ित अपमानजनक व्यवहार के अनुकूल होते हैं, मौखिक या मनोवैज्ञानिक रणनीति पीड़ितों के दिमाग में एक मजबूत 'तलहटी' हासिल कर सकती है, जिससे उनके लिए समय के साथ दुर्व्यवहार की गंभीरता को पहचानना मुश्किल हो जाता है। (नेशनल सेंटर फॉर एल्डरली एब्यूज, 2005)

इन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में व्यक्ति, परिवार, समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लिए सामाजिक और भावनात्मक क्रम होता है। अल्पावधि और दीर्घकालिक दोनों ही समय में, महिलाओं की शारीरिक चोटें और मानसिक परेशानी या तो बाधित होती है, या समाप्त होती है, उनके शैक्षिक और कैरियर मार्ग गरीबी और आर्थिक निर्भरता की ओर ले जाते हैं। पारिवारिक जीवन बाधित हो जाता है जिसका बच्चों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें गरीबी (यदि तलाक या अलगाव होता है) और परिवार की संस्था में भरोसे और विश्वास की हानि शामिल है। ये अनुक्रम न केवल व्यक्तियों और समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य (डब्ल्यूएचओ, 2001) पर दीर्घकालिक प्रभाव भी डालते हैं। घरेलू हिंसा के शारीरिक स्वास्थ्य परिणाम अक्सर अस्पष्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं और दीर्घकालिक रूप से उभरते हैं। उदाहरण के लिए, जो महिलाएं बचपन में हिंसक हमलों के अधीन थीं, वे मासिक धर्म की समस्याओं और बाद के जीवन में चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (डब्ल्यूएचओ, 2001) से परेशान हैं।

घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे आम रूप है। यह पूरे जीवन में महिलाओं को सेक्स के चयनात्मक गर्भपात से लेकर आत्महत्या और शोषण के लिए मजबूर करता है और दुनिया के हर समाज में कुछ हद तक स्पष्ट है। डब्ल्यूएचओ (2007) की रिपोर्ट है कि जिन महिलाओं ने कभी भी शारीरिक या

यौन हिंसा का अनुभव किया था या दोनों एक अंतरंग साथी द्वारा 15 से 71 प्रतिशत तक थे, बहुमत 29 और 62 प्रतिशत के बीच था।

2005–2006 के दौरान 29 राज्यों में किए गए भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –3 ने पाया है कि विवाहित महिलाओं का पर्याप्त अनुपात उनके जीवन में कभी–कभी उनके पति द्वारा शारीरिक या यौन शोषण किया गया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश भर में 37.2 प्रतिशत महिलाओं ने शादी के बाद 'अनुभवी हिंसा का सामना किया है। बिहार में सबसे अधिक हिंसा पाई गई, जिसमें विवाहित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की दर 59 प्रतिशत थी। अजीब बात है कि इनमें से 63 फीसदी घटनाएं राज्य के सबसे पिछड़े गांवों के बजाय शहरी परिवारों से हुई थीं।इसके बाद मध्य प्रदेश (45.8 फीसदी), राजस्थान (46.3 फीसदी), मणिपुर (43.9 फीसदी), उत्तर प्रदेश (42.4 फीसदी), तमिलनाडु (41.9 फीसदी) और पश्चिम बंगाल (40.3 फीसदी) का नंबर रहा। यहां तक कि इन भयावह आंकड़ों के अनुमान के तहत महत्वपूर्ण होने की संभावना है कि परिवारों के भीतर हिंसा औद्योगिक और औद्योगिक देशों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2006 दोनों में एक वर्जित विषय बनी हुई है।

लिंग आधारित हिंसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधाएं डालती है। इस मुद्दे के महत्व को दर्शाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर वैश्विक अभियान के लिए संयुक्त राय मिलेनियम प्रोजेक्ट टास्क फोर्स ऑन एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी का आह्वान है संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी परियोजना इस बात की पुष्टि करती है कि हिंसा से मक्ति विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के लिए 'एक उत्पादक जीवन (UNO, n.d.) का नेतृत्व करने की क्षमता का एक मुख्य अधिकार और आवश्यक है। लिंग आधारित हिंसा सीधे तौर पर लैंगिक समानता और महिला, शिशु और मातृ स्वास्थ्य और मृत्यु दर के सशक्तीकरण से संबंधित एमडीजी की उपलब्धि को खतरे में डालती है। यह इस संदर्भ में है कि लिंग आधारित हिंसा के प्रति

महिलाओं के दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।इसकी स्पष्ट समझ से समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। दशकों से, महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (महिलाओं के लिए) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया है।समुदायों, गठबंधन और देशों की बढ़ती संख्या इस कारण के आसपास जुट रही है। फिर भी समस्या बनी रहती है। यह मुद्दे को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को बदलने का समय है (यूनिसेफ, एन. डी.)।

बच्चों पर प्रभाव

जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा देखी है या जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वे गैर–स्वस्थ व्यवहार समस्याओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनके वजन और उनके खाने और नींद की आदतों के साथ समस्याएं शामिल हैं। उन्हें स्कूल में कठिनाई हो सकती है और करीबी और सकारात्मक दोस्ती विकसित करने में मुश्किल हो सकती है। वे भागने की कोशिश कर सकते हैं या आत्मघाती प्रवृत्ति भी दिखा सकते हैं।

4.5 महिलाओं पर हिंसा को कम करने के लिए कदम

मुद्दे के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण उपाय कानूनी उपाय और जागरूकता अभियान हैं जो महिलाओं को लक्षित करते हुए उन्हें शून्य सहिष्णुता विकसित करने के लिए कहते हैं। विकासशील देशों की संस्कृति में लिंग आधारित हिंसा व्याप्त है; इसलिए यह उस संस्कृति को बदलने का समय है। मुद्दे के संबंध में बहुत से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लगभग सभी जागरूकता कार्यक्रमों में सामग्री कानूनी मुद्दे, परामर्श सुविधाएं और पुलिस का समर्थन लेने के उपाय हैं। अधिकांश मामलों में दर्शक महिलाएं हैं। इस तरह

से सोच और विश्वास में बदलाव की जरूरत है। वास्तव में, पुरुष और महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं। महिलाओं पर हिंसा को कम करने के कुछ कदम हैं:

1. महिलाओं के प्रति पुरुषों का रवैया

अधिकांश पुरुष यह मानते हैं कि उनकी मर्दानगी तभी स्थापित होती है जब वे अपने जीवन में महिलाओं पर वर्चस्व हासिल करने में सक्षम होते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि पुरुष अपने जीवन में महिलाओं को अपने जीवन में अपनी आकांक्षाएं और पसंद रखने वाले एक अलग व्यक्ति के रूप में मानते हैं।

2. पुरुषों के प्रति महिलाओं का रवैया

समाजीकरण की प्रक्रिया में ही महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए बनाया जाता है। वह हमेशा यह मानती है कि उसके जीवन में पुरुष सदस्य उसके जीवन के बारे में बड़े फैसले लेंगे।' महिलाएं वास्तव में अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. महिलाओं के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण

महिलाओं को आमतौर पर यह सोचने के लिए बनाया जाता है कि वे कमजोर है, उन्हें अपने पुरुष समकक्षों को जो भी तय करना है उसे स्वीकार करना होगा। कई मामलों में, माताओं और सास अपनी बेटी / बेटियों के लिए ऐसी सोच को पारित करने की कोशिश करेंगी। हालाँकि, सभी महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के नजरिए में बदलाव करें और महिलाओं को अपने जीवन की जिम्मेदारी दें। उक्त क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे घरेलू हिंसा की दर में कमी आएगी।

4. सामाजिक नेटवर्क

सामाजिक नेटवर्क में महिलाओं की भागीदारी को हिंसा के प्रति कम संवेदनशील और घरेलू हिंसा को हल करने की उनकी क्षमता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है। ये नेटवर्क अनौपचारिक (परिवार और पड़ोसी) या औपचारिक (सामुदायिक संगठन, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह या राजनीतिक दलों से संबद्ध) हो सकते हैं।

5. पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता

सबसे महत्वपूर्ण उपाय पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। उन कारणों के बारे में चर्चा करते हुए हमने यह समझा है कि जीवन में कुछ अन्य तनावों के कारण कई बार व्यक्ति हिंसक हो जाते हैं और अधिकांश मामलों में जीवन तनाव या आर्थिक कारक काम करते हैं। उनके जीवन में आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उचित जीवन कौशल और जीवन के प्रति सही रवैया। यह इस क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत है। इसलिए इस दिशा में प्रयास बढ़ाना चाहिए। इस तरह के बदलाव स्वस्थ समाज के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे जहां पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ प्यार, स्नेह, सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं।स्वस्थ समाज के लिए यही आवश्यक है। न केवल हिंसा की अनुपस्थिति बल्कि उनकी महिला काउंटर पार्ट्स के प्रति सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) घरेलू हिंसा को कम करने के लिए कुछ कदम क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

4.6 सारांश

महिलाएं और पुरुष एक अविभाज्य रूप में पूरे परिवार, समाज या राष्ट्र के रूप में एक पूरे का निर्माण करते हैं। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए दोनों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। इसलिए, व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जो बदले में कई तरीकों से बदलाव लाएंगे। मूल कार्य किए बिना कोई अन्य प्रयास सतह के स्तर पर मुद्दे को संबोधित करेगा और समस्या हमेशा बनी रहेगी।

4.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

बी. सुसमिथा, (2016)) घरेलू हिंसाः कारण, सामाजिक परिवर्तन में प्रभाव और उपचारात्मक उपाय, भाग 46, 4ः पृ 602 और 610) सेज प्रकाशन।

डागा ए.एस., जीजीभोय एस., और राजगोपाल एस. (1999). महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसाः अस्पताल की करणीय रिकॉर्ड की जांच, मुंबई, परिवार कल्याण विभाग का जरनल, 45(1), 1—11।

डुव्वरी नाटा, कार्नी पेट्रीसिया, और मिन्ह गुयेन हुउ. (2013). वियतनाम में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की लागत का अनुमान, न्यूयॉर्क, अमेरिकीः

संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र महिला. पुनर्माप्त :

http://www-unwomen-org/en/digital-library/publications//21 estimating-the-cost-of-domestic-violence-against-women-in-viet-nam#sthash. OkAsC5Ru-dpuf Google Scholar

आर्थर, क्रिस्टीन और क्लार्क, रोजर, ''घरेलू हिंसा के निर्धारकः एक क्रास राष्ट्र अध्ययन'' परिवार के समाजशास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, भाग.35, न.2 (ऑटम 2009).पृ.147–167।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY